CDM Watch
Scrutinizing Carbon Offsets

# विकास की साफ प्रणाली (सी डी एम) उपकरण समूह

## नागरिकों, सकीय कार्यकर्ताओं व गैर सरकारी संस्थाओं के लिए एक संसाधन

2010
TOOL KIT
CDM Watch

CDM Watch
Scrutinizing Carbon Offsets

TOOL
KIT
CDM
Watch

# परिचय

विकास की साफ प्रणाली के उपकरण समूह का यह दूसरा संस्करण उन गैर सरकारी संस्थाओं, सकीय कार्यकर्ताओं व नागरिकों के लिए तैयार किया गया है जिन्हें विकास की साफ प्रणाली के विषय का बहुत कम या बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। सी डी एम वॉच के द्वारा 2003 में निकाले गए पहले उपकरण समूह के समान ही यह भी एक सूचना पुस्तक (गाइड) है जो विकास की साफ प्रणाली व उसके उपकरण जनता की भागीदारी के कार्य में कैसे काम करते हैं इस विषय को समझाती है।

कृप्या नोट करें कि यह सूचना पुस्तक विकास की साफ प्रणाली पर टिप्पणी नहीं है परन्तु यह एक ऐसे उपकरण की तरह है जो उनके द्वारा प्रयोग की जाती है जो अपने देश में विकास की साफ प्रणाली की परियोजना ( प्रोजेक्ट) का कार्यान्वन करते हैं व इन परियोजनाओं के मूल्यांकन के तरीकों के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं।

इस उपकरण समूह में विकास की साफ प्रणाली का एक सामान्य परिचय व इतिहास के विषय में बताया गया है। इसके बाद यह उस प्रकिया को समझाता है जो विकास की साफ प्रणाली की परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने के लिए व कार्बन केडिट पाने के लिए की जाती है। इसका केन्द्र भद्र समाज को मुख्य मुद्दों को समझाना व समाज के सहयोग के अवसर को पहचानना होता है। इस सूचना पुस्तक में कुछ प्रकार की परियोजनाओं के लिए विशिष्ट नियमों का विस्तृत विवरण भी दिया गया है जैसे सिंक परियोजनाएँ व कार्यो के प्रोग्राम आदि। नीचे कुछ उपकरण दिए जा रहे हैं जो जनता की टिप्पणी के समय व उसके बाद विकास की साफ प्रणाली की परियोजनाओं के विश्लेषण के लिए मुख्य ज़रूरतों में स्पष्टता लाते हैं।

विकास की साफ प्रणाली में कई स्थानों पर विशिष्ट व परिवर्णी शब्दों (एक्रोनिम)का प्रयोग हुआ है परन्तु हमने उन्हें जहाँ तक संभव हो प्रयोग न करने की कोशिश की है। परन्तु विकास की साफ प्रणाली कैसे काम करती है उसकी सही तस्वीर आप तक पहुँचाने के लिए कहीं कहीं हमें इनको इस्तेमाल करना पड़ा है। इसे कुछ आसान बनाने के लिए उपकरण समूह के अन्त में दी हुई ग्लौसरी में इस व्याख्यान में प्रयुक्त शब्दावली को समझाया गया है।

आप http://www.cdm-watch.org से विकास की साफ प्रणाली के उपकरण समूह का फ्रेंच, चीनी, पुर्तगाली, स्पेनिश व थाई भाषाओं में अनुवाद को डाउनलोड कर सकते हैं।

सी डी एम वॉच इस अवसर पर बेन पीयरसन व उनके साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने 2001 से 2005 तक चलने वाले सी डी एम वॉच के पहले संस्करण को लाने की मेहनत की। सी डी एम की शुरूआत से ही उन्होंने भद्र समाज की बहुत समय से चली आ रही टिप्पणी वाली आवाज़ से विकास की साफ प्रणाली को स्वरूप दिया।

अप्रैल 2009 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ जिसने सी डी एम की परियोजनाओं, उसकी प्रणालियों व सी डी एम एग्सिक्यूटिव बोर्ड के काम करने का एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। एक ऐसे समय पर जब 2012 के पूर्व सुधरी हुई प्रणाली के विषय में बातचीत चल रही है तब सी डी एम वॉच का मुख्य लक्ष्य वर्तमान सी डी एम की खामियों को उजागर करना है व सी डी एम के कार्यान्वन में भद्र समाज की आवाज़ को पहुँचाना है। 2012 के पश्चात किसी भी प्रणाली में पिछली वार से सीखी हुई वातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि भविष्य में स्रावों में नकली कमी या पर्यावरण व समाज को नुकसान पहुँचाने वाले स्रावों में कमी लाने वाली परियोजनाओं से बचा जा सके।

यह उपकरण समूह फेडरल एनवायरॉन्मेन्ट मिनिस्ट्री ऑफ जर्मनी के इन्टरनैशनल क्लाइमेट प्रोटेक्शन इनिशिएटिव द्वारा प्रायोजित है।

यदि आप और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृप्या सी डी एम वॉच से निम्न पर सम्पर्क करें:

**info@cdm-watch.org**

**http://www.cdm-watch.org**

# विषय वस्तु

1. **सी डी एम व उसकी उत्पत्ति - एक संक्षिप्त विवरण**

1.1 मारकेश अकॉर्ड

1.2 सी डी एम - एक बिलियन डॉलर का बाज़ार

1.3 2012 के पश्चात सी डी एम का अनिश्चित भविष्य

1.4 सी डी एम में भाग लेने वाले देश

2. **सी डी एम वास्तव में कैसे काम करता है - एक उदाहरण**

3. **सी डी एम परियोजनाओं का चक्र : परियोजनाओं के डिज़ाइन से लेकर कार्बन क्रेडिट जारी करने तक**

3.1 पहला चरण: पी डी डी यानि परियोजना के डिज़ाइन का दस्तावेज़ तैयार करना

3.1.1 स्थानीय साझेदारों के साथ चर्चा

3.1.2 ई आई ए यानि पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन

3.1.3 बेसलाइन के अनुमान के तरीके

3.1.4 अतिरिक्तता का प्रदर्शन

3.2 दूसरा चरण: भाग लेने वाले सभी देशों से स्वीकृति लेना

3.3 तीसरा चरण: वैधीकरण व 30 दिन का जनता द्वारा टिप्पणी की अवधि

3.4 चौथा चरण: सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड द्वारा पंजीकरण

3.5 पॉचवा चरण: स्रावों में कमी की जॉच

3.6 छठा चरण: स्रावों में कमी के क्रेडिटों का सत्यापन व प्रमाणीकरण करके उन्हें जारी करना

3.7 सातवॉ चरण: आकलन करने की अवधि का नवीनीकरण

4. **भद्र समाज द्वारा दिए गए सुझावों के लिए अवसरों का पुनरावलोकन**

5. **परियोजना के विशेष कार्यो की एक समीक्षा**

5.1 लघु परियोजनाएँ

5.2 कमज़ोर (सिंक) परियोजनाएँ

5.3 कार्यो के प्रोग्राम

6. **परियोजना डिज़ाइन दस्तावेज़ (पी डी डी) में मुख्य प्रमाणीकरण की आवश्यकता**

7. **सी डी एम के विषय में अन्य जानकारी**

8. **सी डी एम - मुख्य शब्दावली व परिवर्णी शब्द**

# 1. विकास की साफ प्रणाली व उसकी उत्पत्ति - एक संक्षिप्त समीक्षा

**1992** में हुए रियो अर्थ समिट में देशों ने इस बात के प्रतिकिया स्वरूप कि इन्सानों के कार्य ग्लोबल वॉर्मिंग को बढ़ा रहे हैं, युनाइटेड नेशन्स फेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेन्ज (यू एन एफ सी सी सी) को सहमति दी। यू एन एफ सी सी सी में उन औद्योगीकृत देशों (जो कन्वेन्शन के एनेक्सचर **1** में सूचीबद्ध हैं) से एक स्थाई वचनबद्धता ली कि वे अपनी ग्रीन हाउ स गैसों के स्राव को सन् **2000** तक **1990** के स्तर तक ले आएँगे। जल्दी ही यह पता लग गया कि यह मौसम के एक भयंकर परिवर्तन को रोकने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए **1995** में हुई पहली कॉन्फ्रेन्स ऑफ पार्टी (सी ओ पी) सकियता में आई। सभी पार्टियॉं एक ऐसे प्रोटोकॉल के लिए समझौता करने लगीं जो कुछ देशों में कड़े व कानूनी नियमों द्वारा ग्रीन हाउस गैस स्रावों में कमी लाए।

**1997** में जापान में कन्वेन्शन के तीसरे सी ओ पी में सभी पार्टियों की उस प्रोटोकॉल पर सहमति हुई जिसमें औद्योगिकृत देशों के लिए लक्ष्य उनके देश के निजी स्रावों को **2008-2012** में **1990** के स्तर से औसतन **5** प्रतिशत कम तय किया गया। इसे समझौते की पहली समय सीमा (कमिटमेन्ट पीरियड) माना गया। इस प्रोटोकॉल को उसकी उत्पत्ति के स्थान का नाम दिया गया - कोयोटो। कम करने के इन समझौतों के दामों में कमी लाने के लिए बाज़ार पर आधारित तीन लचीले तरीकों (फलेक्सीबेल मैकेनिज़्म्स) का निर्माण किया गया : एमिशन्स ट्रेडिंग (ई टी), जॉइन्ट इम्लीमेन्टेशन (जे आई) व क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़्म (सी डी एम)।

ये तीनों तरीके कार्यान्वन में अलग अलग होने के बावजूद एक ही सिद्धान्त पर आधारित हैं: औद्योगिकृत देशों को दुनिया में जहाँ वे सबसे सस्ते हैं वहाँ से अपने स्रावों में कमी लाने के लिए उनका प्रयोग करें व फिर इन कमियों की गिनती अपने देश के लक्ष्य में करें। जे आई व सी डी एम को प्रोजेक्ट पर आधारित तरीके कहा जाता है क्योंकि ये वास्तविक प्रोजेक्ट के पैसे देते हैं; जे आई अक्सर पूर्वी यूरोप व पुराने सोवियत यूनियन में पैसे देती है व सी डी एम प्रोजेक्ट केवल विकासशील देशों में ही होते हैं जहाँ स्रावों में कमी का लक्ष्य कोयोटो प्रोटोकॉल के अन्तर्गत नहीं आता। इस तरह सी डी एम कोयोटो प्रोटोकॉल का केवल एक भाग है जो विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों के स्राव को कम करने में लगा हुआ है। सी डी एम अलग इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रोजेक्टों द्वारा सन् **2000** से स्रावों में कमी के केडिटों को **2008-2012** की कमी में गिना जा सकता है। जे आई व एमिशन ट्रेडिंग के विपरीत सी डी एम को स्थाई विकास को बढ़ावा देने की स्पष्ट मंज़ूरी है।

[1] तकनीकी तौर पर वे देश प्रोटोकॉल के एनेसचर बी की सूची में समझौते के साथ हैं जिन्होंने समझौता किया है परन्तु इन औद्योगिकृत देशों को सामान्य रूप से एनेक्सचर 1 पार्टी कहा जाता है।

[2] सी एम पी/2005/8/ए डी 1, पेज 8, पैरा 5

## 1.1 मारकेश अकॉर्ड

**2001** में यू एन एफ सी सी सी के सातवें सी ओ पी में सी डी एम के करीब करीब सभी नियमों को मान लिया गया था व तथाकथित मारकेश अकॉर्ड में शामिल कर लिया गया था। सी डी एम के नियमों को आधार बना कर पार्टियों ने तबसे उन नियमों को सी डी एम सुधारों के संदर्भ में बढ़ा लिया है। मारकेश अकॉर्ड ने सी डी एम का निरीक्षण करने के लिए सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड का गठन भी किया जो कयोटो प्रोटोकॉल की पार्टियों की मीटिंग के अधीन व उनके संरक्षण में होता है। बोर्ड को वर्तमान नियमों में सुधार करने का व इस बात पर मार्गदर्शन करने का कि कुछ नियमों की व्याख्या कैसे की जाए यह कार्य दिया गया। बोर्ड इस बात पर भी आखिरी निर्णय लेता है कि सी डी एम की किसी परियोजना को जो कार्बन केडिट देती है व इन्हें प्रदान करने को मंजूरी देती है, पंजीकृत किया जाए या नहीं। किसी भी सी डी एम परियोजना में प्रयोग की जा रही तकनीक पर मारकेश अकॉर्ड कोई पावंदी नहीं लगाता, केवल नाभिकीय शक्तियों (न्यूक्लियर पावर) को छोड़ कर। सिंक प्रोजेक्ट की संख्या व उनके विकास व कितने सिंक केडिट प्रयोग किए गए इन सब पर सीमा लगाना भी मारकेश अकॉर्ड के अन्तर्गत नहीं आता (अधिक जानकारी के लिए सिंक प्रोजेक्ट के भाग को नीचे देखें)। हालांकि मेज़वान देशों में सी डी एम को दीर्घकालिक विकास को वढावा देना होता है परन्तु यह देखना कि कोई विशेष परियोजना यह कर रही है कि नहीं यह उस देश का काम होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेज़वान देशों के सामने कोई सामान्य सिद्धान्त या ज़रूरी परीक्षण नहीं होते जो उन्हें प्रयोग करने होते हैं।

[3] मारकेश अकॉर्ड, गाइडलाइन फॉर इन्टरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 6 ऑफ कोयोटो प्रोटोकॉल, पेज 56

[4] सी पी/2001/13/ए डी 2, पेज 20

[5] सी पी/2001/13/ए डी 2, पेज 22 पैरा 7 ए

## 1.2. सी डी एम - एक बिलियन डॉलर का बाज़ार

कोयोटो प्रोटोकॉल फरवरी 2005 से लागू हुआ। इसे अमरीका को छोड़ कर एनेक्सचर 1 के सभी देशों के द्वारा मंजूरी मिल गई है। 18 नवम्बर 2004 को सी डी एम की पहली परियोजना पंजिकृत हुई थी व उसके बाद तुरन्त ही बाकी भी होने लगीं। 6 जनवरी 2010 को 2000वीं परियोजना पंजिकृत हुई। अबी तक सभी पंजिकृत परियोजनाओं ने 365 मिलियन सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन (सी ई आर) अर्जित किए हैं। प्रत्येक सी ई आर 1 टन कार्बन डायऑक्साइड की कमी के बराबर होता है। अब जबकि करीब 2500 परियोजनाएँ वैधीकरण के स्तर पर हैं तब इस प्रणाली से 2.9 बिलियन सी ई आर से अधिक कोयोटो प्रोटोकॉल के समझौते की पहली समय सीमा में अर्जित किए जा सकते हैं।।

## 1.3. 2012 के पश्चात सी डी एम का अनिश्चित भविष्य

जैसे जैसे कोयोटो प्रोटोकॉल की समप्ति का समय 2012 में नज़दीक आता जा रहा है वर्तमान में पार्टियॉं आपस में यह चर्चा कर रही हैं कि 2012 के पश्चात समझौते की दूसरी समय सीमा (20013 - 2020) में क्या होगा। परन्तु भविष्य अभी भी स्पष्ट नहीं है। दिसम्बर 2009 में कोपेनहैगेन में हुए मौसम के सम्मेलन का लक्ष्य मौसम में बदलाव के एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय समझौते पर आना था जो कोयोटो प्रोटोकॉल का स्थान ले सके। हालांकि पार्टियॉं किसी संवैधानिक नतीजे पर राज़ी न हो सकीं। यू एन एफ सी सी सी की पार्टियों की अगली कॉन्फ्रेन्स (सी ओ पी 16) मेक्सिकों में नवम्बर/दिसम्बर 2010 में होगी जहॉं उम्मीद है कि ग्लोबल वॉर्मिग को कम करने के संदर्भ में किसी समझौते का ढॉंचा तैयार हो सकेगा। यह होने वाला समझौता सी डी एम का भविष्य तय करेगा: यदि कोयोटो प्रोटोकॉल में 2012 के बाद कोई समझौता नहीं होता तो सी डी एम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

हालॉंकि इस बात की बहुत संभावना है कि कई कारणों की वजह से सी डी एम 2012 के बाद भी लागू रहेगा। कार्बन केडिट न केवल कोयोटो प्रोटोकॉल के लक्ष्यों को मानने के कारण दिए जा रहे हैं परन्तु ये राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए भी मान्य होते हैं जो कोयोटो प्रोटोकॉल से ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। यूरोपीयन यूनियन जो सी डी एम कार्बन केडिट का सबसे बड़ा खरीददार है, उदाहरण के लिए उसने सी ई आर की मॉंग 2012 के पश्चात भी अभी से सुरक्षित करा रखी है। 2020 तक अपने स्रावों को 1990 के स्तर से कम से कम 20 प्रतिशत कम व 1990 से 30 प्रतिशत कम यदि मौसम बदलाव के नए अर्न्तराष्ट्रीय समझौते अन्य विकसित देशों की मदद से पहुँचा जा सकता है के साथ साथ ई यू ने अपना मौसम व ऊर्जा पैकेज दिसम्बर 2008 में निकाल दिया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त तरीकों में यूरोपियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम (ई यू ई टी एस) और उन क्षेत्रों के लिए जो ई यू ई टी एस में नहीं आते अधिक कड़े स्रावों की कमी लाने के तरीके होंगे। सी डी एम के लिए मुख्यत: मौसम के इस पैकेज में करीब 50 प्रतिशत कमियॉं जो सिस्टम को चाहिएं वे सी डी एम और जे आई के प्रोजेक्टों से आयात की जाएँगी।

## 1.4. सी डी एम में भाग लेने वाले देश

- **यूरोपियन यूनियन (ई यू - 15)** : ई यू के सदस्य देश जिन्होंने यूरोपियन यूनियन को 1996 से पहले सम्मिलित हुए वे एनेक्सचर 1 के वे देश हैं जो ई यू ई टी एस का भाग हैं व एमिशन पर्मिट के असली खरीददार हैं।
- **वे देश जो मार्केट इकॉनोमी में पविर्तित होने की प्रकिया में हैं :** इन देशों के पास एमिशन कैप होती है व ये कार्बन बाज़ार के वास्तविक विकेता होते हैं। अधिकतर इन देशों में जे आई प्रोजेक्ट की मेज़बानी होती है। रूस, यूकेन व कोएशिया को छोड़ कर ये सभी देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं व ई यू ई टी एस का एक भाग हैं।
- **एनेक्सचर 1 के गैर ई यू देश जिन्होंने कोयोटो प्रोटोकॉल को मंजूर किया :** इन देशों ने कोयोटो प्रोटोकॉल को मंजूरी दी, इनके पास अनुपालन के लक्ष्य हैं, परन्तु ये ई यू के भाग नहीं हैं और न ही ये परिवर्तन के बीच की स्थिति वाली इकॉनोमी हैं। दिसम्बर 2007 में ऑस्ट्रेलिया प्रोटोकॉल को मंजूरी देने वाला आखिरी देश था।
- **एनेक्सचर 1 की वे पार्टियॉं जिन्होंने कोयोटो प्रोटोकॉल को मंजूरी नहीं दी थी:** एनेक्सचर 1 के वे देश जिन्होंने 1997 में कोयोटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे उसमें से केवल अमरीका ने उसे मंजूरी नहीं दी है।
- **गैर एनेक्सचर 1 के देश जिन्होंने कोयोटो प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है :** जिन गैर एनेक्सचर देशों के पास एमिशन कैप नहीं हैं उनका कहना है कि वे स्रावों में कमी के किसी भी लक्ष्य से ज़बरदस्ती बाध्य नहीं हैं व सी डी एम के भविष्य में मेज़बान देशों में हैं।

6 कोयोटो प्रोटोकॉल उस दिन के 90 दिन पर कार्यान्वित हुआ जब यू एन एफ सी सी सी कम से कम 55 से कम पार्टियों ने जो कि एनेक सचर 1 की पार्टियॉं हैं व 1990 के पूरे कार्बन डाय ऑक्साइड के एनेक्सचर 1 के 55 प्रतिशत से कम स्रावों के अन्तर्गत आती हैं अपने कागज़ात मंजूरी, स्वीकृत होने व पद ग्रहण के लिए दे दिए हैं। 30 जून 2009 तक 186 देशों ने व एक रीजनल इकोनोमिक इन्टीग्रेशन ऑरगेनाइज़ेशन ने अपने कागज़ात मंजूरी, स्वीकृत होने व पद ग्रहण के लिए दिए हैं व पूरे कार्बन डाय ऑक्साइड स्रावों के 63.7 प्रतिशत 1990 की एनेक्सचर 1 की पार्टियों ने प्रोटोकॉल को मंजूरी दे दी है।

7 यू एन एफ सी सी के प्रेस रिलीज़ “क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़म पाज़ेज़ 2000थ रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट माइलस्टोन इन लेस दैन 2 ईयरस, 6 जन्वरी 2010

8 डॉयशे बैंक अनैलिसिस “इट्स तफ एट द सी ओ पी : आफ्टर द कन्फ्यूज़न, अनसर्टेनिटि.... ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सी ओ पी 15 ऑन ई यू ऑफ सेटिंग, 20 दिसम्बर 2009

9 क्लाइमेट स्ट्रैटिजीज़ “वुड प्रिफरेन्शियल एक्सेस टू द ई यू ई टी एस बी सफिशेन्ट टू ओवरकम करेंट बैरियर्स टू सी डी एम प्रोजेक्ट्स इन एल डी सीज़?” , पॉला केस्ट्रो एन्ड एक्सल मिखेलोवा, मार्च 200910

10 आस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनर्माक, फिनलैंड, फ्रॉस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्ज़मबर्ग, निदरलैंड, पौरच्यूगल, स्पेन, स्वीडन, युनाइटेड किंगडम

11 बुलगेरिया, कोएशिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लात्विया, पोलैंड, रोमेनिया, रश्यिन फेडेरेशन, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, यूकेन

12 कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मोनेको, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विटज़रलैंड, लिचेन्टशीन

13 एन्टिग्वा व बार्बूडा, अर्जेन्टिना, आर्मेनिया, अज़र्बेजान, बाहामाज़, बॉंगला देश, बार्बेडोज़, बेलीज़, भूटान, बेनिन, बोलिविया, बोत्सवाना, ब्राज़ील, बुरूँडी, कैम्बोडिया, कैमरून, चिले, चीन, कोलम्बिया, कुक द्वीप, कॉस्ट रीका, क्यूबा, सिपरस, डिजेब्यूटी, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वेडॉर, एल साल्वेडॉर, इक वेटोरियल गिना, फिजी, गाम्बिया, जॉर्जिया, घना, ग्रेनेडा, ग्वाटेमाला, गिना, गयाना, हौन्डुराज़, इन्डिया, इज़रायल, जमैका, जार्डन, किनिया, किरेबाती, किर्गिस्तान, लाओ, लिसोथो, लाइबीरिया, मदागस्कार,,मालावी, मलेशिया, मालदीव, माली, माल्टा, मार्शल द्वीप, मॉरिशस, मेक्सिको, माइकोनीश्यिा, मंगोलिया, मोरक्को, स्यान्मार, नामिबिया, नारो, निकारागुआ, नायजीरिया, नियूए, पालाऊ, पनामा, पैराग्वे,पापुआ न्यू गिना, पेरू, फिलीपीन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ मॉल्डोवा, रवांडा, सेन्ट लूसिया, सेन्ट विंसेन्ट एन्ड द ग्रेनेडाइन्स, सामोआ, सेनेगल, सेशेल्स, सॉलोमन द्वीप, साउथ अफीका, श्री लंका, सूदान, थाइलैंड, टोगो, ट्रिनिडैड एन्ड टोबेगो, टुनिशिया,तुर्कमेनिस्तान, तुवालो, युगांडा, युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्ज़ानिया, डेमोकरैटिक पीपल्स रिपब्लिक युरूग्वे, उज़बेकिस्तान, वनाओतू, वियतनाम, येमेन

## 2. सी डी एम वास्तव में कैसे काम करता है - एक उदाहरण

[15] समझाने के लिए सी डी एम "स्रावों में कमी" का प्रयोग किया जाएगा हालांकि सी डी एम सिंक प्रोजेक्ट को मंज़ूरी देता है जो कार्बन का बायोमास या वेजिटेशन के रूप में भंडारण करते हैं व इस प्रकार स्रावित कार्बन का भंडारण हो जाता है।

सैद्धान्तिक तौर पर सी डी एम इस प्रकार काम करता है : किसी औद्योगीकृत देश से कोई निवेशक या औद्योगिक देश की सरकार निवेश कर सकती है या विकासशील देश के किसी ऐसे प्रोजेक्ट में धन लगा सकती है जिससे ग्रीन हाउस गैस स्रावों में कमी आए  ताकि वे उस स्तर से कम हों जहाँ वे इस अतिरिक्त खर्चे के बगैर होते - यानि कि सी डी एम के बिना उस व्यापार का क्या हुआ होता। इसके बाद निवेशक को केडिट दिए जाते हैं - कार्बन केडिट - कमी लाने के लिए व इनका प्रयोग वे अपने कोयोटो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। यदि सी डी एम ढंग से काम करता है तो स्रावों में कमी के लक्ष्य जो कोयोटो प्रेाटोकॉल के अन्तर्गत तय किए गए थे वे उनसे कम या ज़्यादा नहीं होंगे - वे केवल उस जगह को बदल देंगे जहाँ कुछ कमियाँ होंगी।

एक उदाहरण: ई यू एमिशन ट्रेडिंग स्कीम के अन्तर्गत एक फेंच कम्पनी फॉस के स्रावों में कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने स्रावों में कमी लाना चाहती है। फान्स में अपने कार्यो के स्रावों को कम करने की बजाय कम्पनी भारत में एक बायोमास प्लांट के निर्माण के लिए, जो इस पैसे के बगैर संभव नहीं था, धन देती है। उनके अनुसार यह भारत में एक नए फौसिल के ईंधन से तैयार प्लांट के निर्माण पर रोक लगाती है या फिर वर्तमान में बिजली के उपभोग को
परिवर्तित करती है जिससे भारत में ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कमी आती है। इससे उस फेंच इन्वेस्टर को इस कमी के लिए केडिट दिया जाएगा जिसका प्रयोग वह फॉस में अपनी कमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर सकता है।

ऐसा स्पष्ट उदाहरण वास्तविक दुनिया में मिलना मुश्किल होता है। विशेषकर इस बात का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि यदि फॉस से मिले पैसे से निर्मित बायोमास प्लांट आगे नहीं बढ़ पाता तो क्या होगा। इस बात की भविष्यवाणी कर पाना व उसका सही होना मुश्किल है।  क्या हुआ होगा इसके अक्सर एक से अधिक परिदृश्य हो सकते हैं इसलिए यह और भी कठिन हो जाता है। सी डी एम निवेश व केडिट का वास्तविक पैटर्न ऊपर दिए गए उदाहरण से थोड़ा अधिक जटिल होता है। कई केसों में कार्बन केडिट बार बार कय किए जाते हैं व साधारणत: उसमें कई बिचौलिए जैसे र्व्लड बैंक व विकसित देशों की सरकार के लिए कार्बन केडिट का लेन देन करने वाली एजेन्सियॉं व कॉरपोरेशन आते हैं। कुछ केसों में सी डी एम प्रोजेक्ट स्वयं वित्त पोषित होता है व वही उसका प्रोजेक्ट विकास करता है व फिर वह स्राव में कमी के लिए खरीददार खोजता है। हालांकि आधारभूत सिद्धान्त वही रहता है : औद्योगिक देशों की सरकारें व कम्पनियॉं किसी प्रोजेक्ट को संभव करने के लिए आर्थिक मदद करती हैं जिससे स्रावों में कमी आती है जो शायद उसके बगैर न होती। स्रावों में इस कमी के केडिट को निवेश करने वाला देश लेता है जिससे वह स्वयं अपने कमी के लक्ष्य को पूरा करता है।

अगले भाग में वे तरीके बताए गए हैं जिनसे विशिष्ट प्रोजेक्ट विकसित व स्वीकृत किए जाते हैं।

[16] सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड रिर्पोट 2009

[17] मान्यता प्राप्त डी ओ ई की सूची के लिए कृप्या  हततपक्ष्ध्दम॑ ुन्फच्व्च। न्त्रिडैश्क्ष्लस्त्रि न्दिएक्ष। हतम्ल  देखें

# 3. सी डी एम परियोजनाओं का चक्र : परियोजनाओं के डिज़ाइन से लेकर कार्बन क्रेडिट जारी करने तक

**सी डी एम के अधीन डेज़िग्नेटिड ऑपरेश्नल एनटिटीज़ (डी ओ ई) अक्सर एक निजी कम्पनी होती है जो यू एन एफ सी सी सी द्वारा निम्न को करने के लिए मान्यता प्राप्त व तय की जाती है :**

- ाी डी एम के प्रस्तावित प्रोजेक्ट के कार्य को विधिमान्य बनाना व उसके बाद उसके पंजीकरण का निवेदन करना जिसे 8 हफ्ते के बाद मान्यता मिल जाती है यदि पुर्नविचार के लिए कोई प्रार्थना न हो तो। इस कार्य के लिए इस गाइड में हम डी ओ ई को वैलिडेटर ही पुकारेंगे।

- किसी भी पंजीकृत सी डी एम प्रोजेक्ट के कार्य के स्रावों में कमी को सत्यापित करके उचित होने का सर्टिफिकेट देना व बोर्ड को सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन जारी करने की प्रार्थना करना। प्रार्थना पत्र देने के 15 दिन बाद यदि कोई पुर्नविचार के लिए प्रार्थना न की गई तो इसे ही अन्तिम माना जाएगा। इस कार्य के लिए इस गाइड में हम डी ओ ई को वेरिफायर पुकारेंगे।

कुछ बड़े मान्यता प्राप्त वैलिडेटर हैं:
> टी यू वी एस यू डी इन्डस्ट्री सर्विस जी एम बी एच (टी यू वी एस यू डी)
> एस जी एस युनाइटेड किंगडम लिमिटेड (एस जी एस)
> डेट नॉरस्के वेरिटास सर्टिफिकेशन ए एस (डी एन वी)
> ब्यूरो वेरिटास सर्टिफिकेशन होल्डिंग एस ए एस (बी वी सी एच)
> कोरिया एनर्जी मैनेजमेन्ट कॉरपोरेशन (के ई एम सी ओ)
> टी यू वी एन ओ आर डी सी ई आर टी डी एम बी एच (टी यू वी नॉर्ड)
वैलिडेटरों की पूरी सूची के लिए कृप्या यहाँ देखें
http://cdm.unfccc.int/DOE/list/index.html

मारकेश अकॉर्ड में सी डी एम प्रोजेक्टों के लिए ज़रूरी नियमों का सेट तैयार किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सी डी एम की ज़रूरतें पूरी हुई हैं प्रोजेक्ट विकसित करने वालों के द्वारा तीसरी पार्टी के वैलिडेटरों को नियुक्त किया जाता है जो सी डी एम एक्ज़ीक्यूटिव बोर्ड के दाएँ हाथ की तरह काम करते हैं। यू एन एफ सी सी सी की शब्दावली में इन्हें डेज़िग्नेटिड ऑपरेश्नल एनटिटीज़ (डी ओ ई) कहते हैं। परन्तु इस गाइड में कई शार्ट कट शब्दावली होने के कारण हम इन्हें वैलिडेटर या वेरिफायर ही कहेंगे। अधिक जानकारी के लिए कृप्या बॉक्स को देखें

यदि वैलिडेटर को लगता है कि मारकेश अकॉर्ड की ज़रूरतें पूरी हुई हैं तो वे सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड को यह सुझाव दे देते हैं कि प्रोजेक्ट को पंजीकृत किया जा सकता है, जो एक अन्तिम स्वीकृति होती है। यदि 8 हफ्तों तक बोर्ड इससे असहमत नहीं होता तो प्रोजेक्ट अपने आप ही पंजीकृत माना जाता है व वह स्रावों में कमी की निगरानी व उसके क्रेडिट ले सकता है। इसका यह अर्थ हुआ कि सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड वैलिडेटरों के सुझावों को सैद्धान्तिक रूप में मानता है परन्तु 'नियन्त्रण व संतुलन' की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए किसी असहमति की स्थिति में अन्तिम निर्णय अपने पास सुरक्षित रखना चाहता है। वैलिडेटर अपना काम जितना अच्छा करेंगे उतना ही कम बोर्ड द्वारा पुर्नविचार की प्रार्थना आएगी। हालांकि पूर्व में वैलिडेटरों की बहुत ज़्यादा आलोचना होती है व तीन वैलिडेटरों को तो न्यूनतम मुख्य ज़रूरतों की अनदेखी करने के कारण सस्पेन्ड भी किया जा चुका है। इसलिए वैलिडेटरों पर तीखी नज़र रखन बहुत ज़रूरी है व उचित समय पर आवाज़ उठानी चाहिए।

सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड द्वारा सी ई आर यानि कार्बन क्रेडिट देने के पहले स्रावों में कमी का सत्यापन किसी अन्य डेज़िग्नेटेड ऑपरेश्नल एन्टिटी के द्वारा किया जाना चाहिए - वह नहीं जिसने वैलिडेशन किया था - व उसे इस गाइड में वेरिफायर कहा जाएगा। निरीक्षण, सत्यापन व कार्बन क्रेडिट प्रदान करना उस पूरी अवधि में चलता रहता है जिसमें प्रोजेक्ट के द्वारा स्राव में कमी के क्रेडिट लिए जा रहे हैं ।

पूर्ण रूप से सी डी एम के कार्य चक्र को सात चरणों में बाँटा जा सकता है जिन्हें विस्तार से नीचे समझाया जा रहा है:

1. प्रोजेक्ट के डिज़ाइन के दस्तावेज़ को तैयार करना (पी डी डी)
   अ) स्थानीय साझेदारों से चर्चा
   ब) पर्यावरण पर प्रभाव का मूल्यांकन (ई आई ए)
   स) बेसलाइन के अनुमान के तरीके
   द) अतिरिक्तता को प्रदर्शित करना
2. प्रत्येक शामिल देश से स्वीकृति लेना
3. वैलिडेशन व जनता का 30 दिन का टिप्पणी देने का समय
4. सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड से पंजीकरण
5. स्रावों में कमी की जाँच
6. निरीक्षण, सत्यापन व कार्बन क्रेडिट प्रदान करना
7. क्रेडिटिंग अवधि का नवीनीकरण

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जनता को अपना नज़रिया देनी की छूट होती है। सी डी एम के कार्य चक्र को समझाने की क्रिया के दौरान सुझावों के लिए मुख्य अवसरों को द्वारा चिन्हित किया गया है। इस भाग के अन्त में इन अवसरों का एक पुनरीक्षण भी दिया गया है।

[17] सी एम पी/2005/8/ए डी एल, पेज 17 पैरा 49: क्रेडिट की अवधि अधिकतम 7 वर्ष तक हो सकती है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा दो बार नवीनीकरण कराया जा सकता है या फिर 10 वर्ष जिसमें नवीनीकरण की सुविधा नहीं होती। यह ध्यान रखें की सी डी एम प्रोजेक्ट का जीवन काल वास्तविक प्रोजेक्ट से अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए एक बाँध का काम करते रहने का जीवनकाल 50 वर्ष का हो सकता है परन्तु सी डी एम प्रोजेक्ट के रूप में वह केवल 10 वर्ष तक ही कार्बन क्रेडिट ले सकता है।

# सी डी एम प्रोजेक्ट चक्र

**PROJECT IDEA NOTE · PIN·**

सी डी एम के प्रार्थना पत्र पर पहला विचार

PIN

## वैलिडेशन

### प्रोजेक्ट डिज़ाइन डाक्यूमेन्ट (पी डी डी)

प्रोजेक्ट के ज़रूरी तकनीकी व प्रबन्धक मुद्दों एस्सएन्तालि तएच्हनचिल न्दे रगनठितोंनिल पर विकासकर्त्ता या रखे गए सलाहकार द्वारा जानकारी प्रस्तुत करना

→

### सी डी एम प्रोजेक्ट को मेज़बान देश की मंजूरी

देश की डेज़िग्नेटिड नैशनल अथौरिटी औपचारिक मंजूरी देती है

→

### 30 दिन की जनता की टिप्पणी की अवधि

भद्र समाज द्वारा टिप्पणी दिए जाने की संभावना

↓

## पंजीकरण

### पंजीकरण के लिए प्रार्थना

पी डी डी व वैलिडेशन रिपोर्ट सी डी एम सेक्रेटेरियट में जमा की जाती है

→

### पुनरीक्षण के लिए आवेदन/प्रोजेक्ट का पुनरीक्षण

Review and Rejection if project fails to meet requirements of the CDM

→

### सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड द्वारा मंजूरी

STAMP APPROVAL

प्रोजेक्ट पंजीकृत हो जाता है

↓

## सत्यापन व प्रमाणीकरण

### जॉच

1325477959

प्रोजेक्ट में भाग लेने वाले को पी डी डी जॉच योजना के सभी ऑकड़े जमा करके लेखागार में प्रोजेक्ट से अर्जित केडिट की गिनती करने के लिए रखने चाहिए

→

### सत्यापन

डी ओ ई समय समय पर जॉच व निर्धारण पूर्व जी एच जी स्रावों का एक स्वतन्त्र पुनरीक्षण करते हैं

→

### जॉच की रिपोर्ट का प्रमाणीकरण

GHG

डी ओ ई इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि प्रोजेक्ट के कार्य से हुए जी एच जी स्रावों में कमी सत्यापित है

↓

## जारी करना

### जारी करने के लिए आवेदन

सी डी एम सेक्रेटेरियट में जॉच, सत्यापन व छएरतफिचितोंन रएपेरतस् ारए स्ुब्मतितएद प्रमाणीकरण की रिपोर्ट जमा कराई जाती हैं

→

### पुनरीक्षण/जारी करने के आवेदन की नामंजूरी

यदि प्रोजेक्ट जी एच जी स्रावों की मात्रा में कमी को साबित नहीं कर पाता तो जारी करने को नामंजूर किया जा सकता है

→

### सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी

प्रोजेक्ट में भाग लेने वालों को सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन (सी ई आर) जारी किए व बॉटे जाते हैं

## 3.1. पहला चरण: पी डी डी यानि परियोजना के डिज़ाइन का दस्तावेज़ तैयार करना

**परियोजना का डिज़ाइन दस्तावेज़ क्या होता है?**

- प्रोजेक्ट का सामान्य विवरण
- स्वीकृत बेसलाइन तरीकों से निकाली गई बेसलाइन
- प्रोजेक्ट की अनुमानित अवधि व क्रेडिट देने का समय
- इस बात का प्रदर्शन की स्रावों की कमी कैसे आएगी जो सी डी एम न होने पर होती
- पर्यावरण पर प्रभाव का विश्लेषण
- साझेदारों से चर्चा के तरीकों पर बातचीत व कैसे उनकी टिप्पणियों को ध्यान में रखा गया
- जाँच व सत्यापन की योजना

किसी भी विकास कर्त्ता को वैलिडेशन के लिए प्रोजेक्ट को जमा कराने से पहले उसका पी डी डी यानि की परियोजना के डिज़ाइन का दस्तावेज़ जमा कराना होता है।

पी डी डी एक प्रकार की पहले से तैयार की हुई चेकलिस्ट होती है जो उस प्रोजेक्ट के विकास कर्त्ता को पूरी करनी पड़ती है व उसमें परियोजना का डिज़ाइन दिखाया जाता व बताया जाता है कि किस प्रकार वह सी डी एम की वैलिडेशन की ज़रूरतों को पूरा करता है। यह वह मुख्य दस्तावेज़ है जिसका मूल्यांकन वैलिडेटर परियोजना को समर्थन देने से पहले करता है। इसके बाद यह दस्तावेज़ 30 दिन के जनता की टिप्पणी की अवधि के लिए चला जाता है। यह इसे सी डी एम प्रोजेक्ट को शुरू करने का एक महत्वपूर्ण चरण बनाता है।

यह तय करने से पहले कि किस पी डी डी फॉर्म का प्रयोग करना है सी डी एम प्रोजेक्ट के कार्य की पहचान करनी होती है। किस प्रकार का कार्य है उससे पूरी प्रकिया के दौरान कौन से नियम लागू होंगे वह तय किए जाते हैं। मुख्य मानदंड निम्न हैं:

- क्या यह प्रोजेक्ट लघु स्तर का है या विशाल स्तर का ?
- क्या यह प्रोजेक्ट स्रावों को कम करता है या वह वनरोपण व पुन:रोपण जैसे प्रोजेक्ट के कार्यों द्वारा स्रावों को दूर करता है ?
- क्या यह प्रोजेक्ट प्रोग्राम के कार्यों के लिए उपयुक्त है ?

प्रोजेक्ट के अलग अलग कार्यों के विषय में जानने के लिए कृप्या पेज देखें। अलग अलग पी डी डी फॉर्म जो भिन्न प्रोजेक्ट कार्यों के लिए लागू हैं वे केवल अंग्रेज़ी में यू एन एफ सी सी सी की वेब साइट हततपरू्ध्वदम्‌ुन्फच्व्व।न्तिएफएरएन्च्र्‌ प्डडस्द्फेरम्र्प्डड्र्सन्दिएक्ष।हतम्ल पर उपलब्ध हैं।

प्रोजेक्ट की जानकारी व प्रमाण पी डी डी के साथ संलग्न किए जाने चाहिऍं परन्तु मुख्य जानकारियों का विवरण पी डी डी में अवश्य किया जाना चाहिए।

उन सभी चीज़ों में जो सी डी एम प्रोजेक्ट का डिज़ाइन बनाते समय व पी डी डी को तैयार करते समय आपके लिए ज़रूरी हैं वे हैं:

1) स्थानीय साझेदारों से चर्चा
2) पर्यावरण पर प्रभाव का विश्लेषण
3) बेसलाइन का अनुमान लगाने के तरीके
4) अतिरिक्तता का प्रदर्शन

### 3.1.1. स्थानीय साझेदारों के साथ चचा

सी डी एम के नियमों के अन्तर्गत कि विकास कर्त्ता उस प्रोजेक्ट के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करे व यदि आवश्यकता हो तो ई आई ए भी तैयार करे। यह पी डी डी में शामिल या संलग्न किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण ई आई ए करना है या नहीं यह निर्णय मेज़बान देश का होता है। यदि आपके राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पर्यावरण के नियम कानूनों में ई आई ए की ज़रूरत है जिसमें जनता की टिप्पणी के लिए समय भी दिया जाता है तो यह आपके लिए सुझाव प्राप्त करने का एक और अवसर होता है। पी डी डी के सेक्शन डी में प्रोजेक्ट के पर्यावरण पर प्रभाव का विश्लेषण मिल सकता है।

### 3.1.2. ई आई ए यानि पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन (EIA)

किसी भी प्रोजेक्ट के द्वारा स्रावों में कमी की गणना करने के लिए प्रत्येक प्रोजेक्ट को बोर्ड से मंजूर तरीकों को चुनना होता है। हर पी डी डी एक तरीके के चारों ओर बनाई जाती है जो उस प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त हो। अलग अलग क्षेत्रों (जैसे हायड्रो पावर, विन्ड या वेस्ट) के हिसाब से कई तरीकों को मंजूरी दी गई है। आदर्श प्रोजेक्टों के साथ साथ लघु स्तर के प्रोजेक्ट व सिंक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग तरीके बनाए गए हैं। यदि फिर मंजूर तरीकों में यदि कोई तरीका प्रोजेक्ट की बेस लाइन के अनुरूप नहीं हो तो मंजूरी के लिए एक नया तरीका भी प्रस्तुत किया जा सकता है परन्तु यह पूरे प्रोजेक्ट के वैलिडेशन से पहले किया जाना चाहिए (कृप्या नए तरीकों पर असर डालने के लिए वॉक्स को देखें)

[18] उन पयिोजनाओं के लिए जिनका अधिकतम उत्पाद 15 मेगावॉट या 60 जी डब्लू एच प्रति वर्ष हो या प्रतिवर्ष 60 के टी कार्बन डाय ऑक साइड। इसके लिए सरल तरीके व तकनीकें लागू होती हैं।

[19] ए/आर सी डी एम प्रोजेक्टों के कार्यों के लिए नियम व तरीके जी एच जी स्रावों में कमी वाले सी डी एम प्रोजेक्ट की तरह होते हैं

[20] कार्यों के प्रोग्राम के अन्तरगत पॉलिसी सी डी एम के अन्दर आती हैं।

[21] लघु स्तर के कार्यों के लिए पी डी डी, वनारोपण व पुन:रोपण के लिए पी डी डी, कार्यों के प्रोग्राम के लिए पी डी डी

[22] सी डी एम में प्रयोग होने वाली शब्दावली के यू एन एफ सी सी सी शब्दकोष के अनुसार साझेदारों का अर्थ है "जनता जिसमें व्यक्तिगत लोग भी आते हैं, प्रभावित हो रहे या जो सी डी एम प्रोजेक्ट के कार्यों व ऐसे कामों से जिनसे ये कार्य होते हैं प्रभावित हो सकते हैं वे समूह व समाज"। वास्तव में यह शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो भाग ले रहे हैं न कि वे जो भद्र समाज का हिस्सा हैं। इसीलिए सी डी एम वॉच इस शब्द के स्थान पर 'भद्र समाज' का ही संचार के लिए प्रयोग करता है।

[23] क्लीन डेवेलपमेन्ट मैकेनिज़्म वैलिडेशन एन्ड वेरिफिकेशन मैन्युअल पेज 25

## 3.1.3. बेसलाइन के अनुमान के तरीके

किसी भी प्रोजेक्ट के द्वारा स्रावों में कमी की गणना करने के लिए प्रत्येक प्रोजेक्ट को बोर्ड से मंज़ूर तरीकों को चुनना होता है। हर पी डी डी एक तरीके के चारों ओर बनाई जाती है जो उस प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त हो। अलग अलग क्षेत्रों (जैसे हायड्रो पावर, विन्ड या वेस्ट) के हिसाब से कई तरीकों को मंज़ूरी दी गई है। आदर्श प्रोजेक्टों के साथ साथ लघु स्तर के प्रोजेक्ट व सिंक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग तरीके बनाए गए हैं। यदि फिर मंज़ूर तरीकों में यदि कोई तरीका प्रोजेक्ट की बेस लाइन के अनुरूप नहीं हो तो मंज़ूरी के लिए एक नया तरीका भी प्रस्तुत किया जा सकता है परन्तु यह पूरे प्रोजेक्ट के वैलिडेशन से पहले किया जाना चाहिए (कृप्या नए तरीकों पर असर डालने के लिए बॉक्स को देखें) मंज़ूर किए गए तरीकों में तय की गई बेसलाइन उस दृष्य के बारे में भविष्यवाणी करती है जो बगैर सी डी एम प्रोजेक्ट के होता (अर्थात सामान्य हालातों में क्या होता है) व ग्रीन हाउस के वे स्राव जो उस दृष्य में होते । बेसलाइन की तुलना प्रोजेक्ट के साथ करके इस बात का अनुमान लग सकता है कि प्रोजेक्ट कितनी स्रावों में कमी ला सकता है। बेसलाइन को विकसित करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यह तय करना होता है कि सी डी एम प्रोजेक्ट अतिरिक्त है क्या क योंकि अतिरिक्तता का परीक्षण करने में पूछा जाता है कि क्या सी डी एम प्रोजेक्ट बेसलाइन है (अर्थात क्या प्रोजेक्ट स्वयं सामान्य नतीजों वाला व्यापार है)। यदि हॉं तो वह अतिरिक्त नहीं है क्योंकि वेसे भी वह हो ही जाता (अतिरिक्तता के इस सिद्धान्त के विषय में और जानकारी के लिए नीचे देखें)। प्रोजेक्ट के बेसलाइन के बारे में सारी जानकारी पी डी डी के सेक्शन बी 1 व बी 4 में दी गई है।

साधारण भाषा में बेसलाइन तरीकों से बेसालाइन का निर्माण होता है (जो हमारे उ दाहरण में तेल प्लांट के स्राव हैं)। तरीकों का निर्माण नीचे दी गई सामान्य पद्धति के द्वारा होता है ।

1) वर्तमान में वास्तविक या ऐतिहासिक रूप में चले आ रहे वे स्राव, जो भी लागू हों या

2) किसी ऐसी तकनीक से निकलने वाले स्राव जो एक आर्थिक रूप से बढिया कार्य का प्रदर्शन करे व इस बात का ध्यान करे कि निवेश के लिए रूकावट न हों। या फिर

3) पिछले 5 सालों में ऐसे प्रोजेक्ट के कार्यो द्वारा स्रावों का औसत जो कि ऐसी ही सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण व तकनीकी स्थितियों में हुए हों व उनका प्रदर्शन अपने प्रकार में ऊपर के 20 प्रतिशत में रहा हो ।

तब इसे उस विशेष स्थिति में लागू किया जाता है जहॉं प्रोजेक्ट का विकास होना है व इस तरह बेसलाइन बनाई जाती है। कौन सी सामान्य दिशा चुनी गई, कैसे उ सके लिए तरीकों का निर्माण हुआ व कैसे उन्हें उस स्थिति में लागू किया गया जहॉं प्रोजेक्ट का विकास होना है यह पी डी डी के सेक्शन बी 1 व बी 2 में बताया गया है।

प्रोजेक्ट के पंजीकरण के बाद तरीकों में जॉंच व निरीक्षण की योजनाओं के मानदंडों को भी शामिल किया जाता है। पी डी डी के सेक्शन बी 7 में जॉंच व निरीक्षण की योजना को समझाया गया है।

## 3.1.4. अतिरिक्तता का प्रदर्शन

यह प्रश्न कि क्या कोई प्रोजेक्ट अतिरिक्त है सी डी एम के पर्यावरण निष्ठा को एक चुनौती है। अतिरिक्तता में उन प्रोजेक्टों की छॅंटनी कर दी जाती है जो "सामान्य व्यापार" या "बगैर अतिरिक्तता" वाले होते हैं। सी डी एम को कार्बन केडिट केवल उन्ही प्रोजेक्टों से अर्जित करने चाहिए जो सामान्य व्यापार के परे के

### नए तरीकों के लिए आपका सहयोग

यदि किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई मंज़ूर तरीका नहीं है तो वैलिडेटर एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड को प्रोजेक्ट विकास कर्त्ता की ओर से एक नए तरीके के लिए सुझाव भेजता है। बोर्ड इस सुझाए गए तरीके को एकदम से नहीं देखता परन्तु वह उसे मेथोडोलोजी पैनल के पास भेज देता है उ नसे यह सलाह लेने के लिए कि उसे मंज़ूर किया जाए कि नहीं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है यह पैनल विशेषज्ञों का पैनल होता है जो बोर्ड को बेसलाइन व जॉंच के तरीकों से सम्बन्धित मुद्दों के विषय में सलाह देता है। पैनल कुछ विशेषज्ञों से सुझाव भी ले सकता है व जनता की 25 दिन की टिप्पणी अवधि के लिए रख सकता है जो कि यू एन एफ सी सी सी की वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। इसका एक ई मेल नोटिफिकेशन भी यहॉं जाकर किया जा सकता है http://cdm.unfccc.int/NewUser.html

आपकी डेसिगनेटिड नैशनल अथॉरिटी (डी एन ए) को भी यह पता होना चाहिए कि आपके देश के प्रोजेक्ट नए तरीकों को जमा कर रहे हैं। जनता की टिप्पणी व विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर मैथोडोलोजी पैनल एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड को अपने सुझाव भेजता है जिसे अपनी अगली मीटिंग में उसे मानने का निर्णय लेना होता है। यदि कोई तरीका नामंज़ूर कर दिया जाता है तो उसे एक बार फिर से भी जमा किया जा सकता है। यदि वह मान लिया जाता है तो वैलिडेटर अपने वैलिडेशन की किया कर सकता है।

### बेसलाइन को समझाने के लिए एक उदाहरण:

एक विकास कर्त्ता का मानना है कि उसे एक बायोमास प्लांट के निर्माण के लिए आर्थिक मदद के लिए कार्बन केडिट चाहिऍं। केडिट के बिना प्लांट का काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो सामान्य नतीजों वाला व्यापार यह है कि एक पावर प्लांट जो ईंधन के लिए तेल का इस्तेमाल करता है वह स्थानीय बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाएगा। यहॉं पर तेल का प्लांट बेसलाइन है। यदि उस प्लांट से सालाना 50000 टन कार्बन डाय ऑक्साइड का स्राव हुआ तो बायोमास प्लांट यह दावा कर सकता है कि वह उतने स्राव कम करेगा। बेसलाइन का विश्लेषण करना व यह निर्धारित करना कि क्या वह वास्तव में वह दिखा रहा है जो सी डी एम प्रोजेक्ट के बिना होगा भद्र समाज के लोगों के लिए ज़रूरी होता है। यदि बेसलाइन ही भरोसेमंद नहीं है तो प्रोजेक्ट भी नहीं होगा व उसे अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। पी डी डी के सेक्शन बी ़में बेसलाइन पाई जाती है।

### स्वीकृत तरीके:

फरवरी 2010 तक 96 स्वीकृत व प्रकाशित विशाल स्तर के बेसलाइन तरीके हैं व 55 लघु स्तर के। इसके अतिरिक्त 29 तरीकों पर अभी विचार किया जा रहा है। आप इन्हें http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html पर देख सकते हैं।

### अतिरिक्तता:

सी डी एम का वह प्रोजेक्ट कार्य अतिरिक्त माना जाता है जब उसके द्वारा होने वाले जी एच जी स्राव उस स्तर से कम हों जिस पर वे इस पंजिकृत प्रोजेक्ट के कार्यों के बगैर होते। इसका अर्थ है कि बिना अतिरिक्तता वाला प्रोजेक्ट झूठे कार्बन केडिट अर्जित करता है जिन्हें कि एनेक्सचर 1 के देश अपने देश के वास्तविक स्रावों को कम करने से बचने के लिए प्रयोग कर सकता है।

[25] सी एम पी/2005/8/ए डी एल, पेज 16 पैरा 44

[26] मारकेश अकॉर्ड पैरा 48

[27] श्एए इश्श्08 अन्क्ष1 पारा45उ फेर गुदिान्च्ए

कार्य करते हों। अर्थात वे प्रोजेक्ट जो कार्बन केडिट बेच कर कमाए गए अतिरिक्त धन से बनाए गए हों। जिन भी सामान्य व्यापार वाले प्रोजेक्टों को सी डी एम के तहत कार्बन केडिट अर्जित करने की अनुमति होती है वे किसी भी औद्योगिकृत देश को कोयोटो लक्ष्य  से अधिक स्राव के रिसाव की अनुमति विकासशील देशों में विकास कर्त्ता को वही करने के लिए पैसे देते हैं जो वे करते आ रहे थे न कि वास्तव में रिसाव को कम  करने के लिए। इसीलिए अतिरिक्तता का अनुमान हमेशा सब ऑकड़ों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद सर्तकता से अनुमान लगाकर करना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट के लिए अनुमोदन करने वाले की कही बातों को ठीक से परखा जा सके। पी डी डी के सेक्शन 5 में प्रोजेक्ट अतिरिक्त क्यों है इस बात को प्रदर्शित किया गया है।

[28] बगैर अतिरिक्त वाले केडिट का राष्ट्रीय लक्ष्यों पर बहुत असर होता है जो सी ई आर की बद्धता के लिए मान्य हैं जैसे ई यू ई टी एस

[29] बारबरा हाया "मेज़रिंग एमिशन अन्डर ऑल्टरनेटिव फयूचर: फन्डामेन्टल फ्लौज़ इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कोयोटो प्रोटोकॉलस् क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़्म" दिसम्बर 2009

[30] सी एम पी/2005/8/ए डी एल पेज 16 पैरा 43

## 3.2. दूसरा चरण: भाग लेने वाले सभी देशों से स्वीकृति लेना

किसी भी प्रोजेक्ट के सत्यापन के लिए विकास कर्त्ता को मेज़बानी करने वाले देश (बगैर एनेक्सचर 1 वाले देश) व उस प्रोजेक्ट से सी ई आर खरीदने वाले देश (एनेक्सचर 1 वाले देश) दोनों से लिखित में इस बात की अनुमति लेनी होती है कि इसमें वे अपनी इच्छा से भाग ले रहे हैं। प्रोजेक्ट के कार्य का पंजीकरण इस स्थिति में एनेक्सचर 1 वाले देश की पंजीकरण के समय उपस्थिति के बिना भी किया जा सकता है। इसे "युनीलैटरल सी डी एम प्रोजेक्ट" भी कहा जाता है। हालांकि इससे पहले कि कोई भी एनेक्सचर 1 की पार्टी किसी युनीलैटरकल प्रोजेक्ट कार्य से सी ई आर अर्जित करे उसे सी डी एम एग्ज़िक् यूटिव बोर्ड को एक लिखित सहमति पत्र देना होता है ताकि सी डी एम का रजिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटर सी ई आर को सी डी एम रजिस्ट्री से राष्ट्रीय रजिस्ट्री  के लिए आगे भेज सके।

[31] ई बी 18 रैप  पैरा 57

[32] मारकेश अकॉर्ड , एफ सी सी सी/सी पी/2001/13/ए डी डी 2, हततपळ्ुन्फच्च्च। न्ति

मेज़वान देश को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि "प्रोजेक्ट कार्य दीर्घकालीन विकास  को प्राप्त करने में मदद करता है"। इस बात का निर्णय की दीर्घकालीन विकास के अन्तर्गत क्या आता है वह अलग अलग मेज़बान देशों पर होता है। एक बार फिर इसके लिए सी डी एम नियमों के कोई मानक तय नही हैं।

सी डी एम के लिए डी एन ए पुष्टि प्रदान करता है। डी एन ए आपकी सरकार की वह एजेंसी या विभाग होता है जो आपके देश में सी डी एम प्रोजेक्टों के विकास से सम्बन्धित सब मामलों को देखता है। मौजूदा डी एन ए की सूची को आप http://cdm.unfccc.int/DNA/index.html पर देख सकते हैं। उन एन जी ओ के लिए जो अपने देश में सी डी एम स्थापित करने की प्रकिया को प्रभावित करना चाहते हैं वे डी एन ए से सम्बन्ध स्थापित करके यह पता लगा सकते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट को अनुमति प्रदान करते हैं व इस समय कौन कौन से प्रोजेक्ट पंक्ति में हैं। ब्राज़ील जेसे कुछ देशों में एन जी ओं प्रोजेक्टों को समर्थन देने की प्रकिया में भी लगे हुए होते हैं। यह एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी सरकार से अवश्य मॉगनी चाहिए। आर्मिनिया जैसे कई देश पी डी डी के अनुवादित संस्करण भी प्रदान करते हैं।

दीर्घकालीन विकास की कोई निश्चित कसौटी नहीं है। परन्तु हाल के एक निर्णय के अनुसार और मार्गदर्शन के लिए कोपेनहैगन  में जो विकास की साफ प्रणाली को अपनाया गया है उसके अनुसार डी एन ए को उन कसौटियों को प्रकाशित करने को प्रोत्साहित किया गया है जो वे यह तय करने के लिए प्रयोग करते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट कार्य दीर्घकालीन विकास में योगदान देंगे। यदि आप दीर्घकालीन विकास की कसैटियों को मनवाने के लिए पहल करना चाहते हैं तो आप सोने के स्टैन्डर्ड की दीर्घकालीन विकास की कसौटी के द्वारा प्रयोग की जा रहे स्तर की वकालत यहॉ से देख कर कर सकते हैं http://www.cdmgoldstandard.org/Current-GS-Rules.102.0.html

[33] सी एम पी 5 विकास की साफ प्रणाली पर और मार्गदर्शन, पैरा...

[34] गोल्ड स्टैन्डर्ड फाउन्डेशन सी डी एम व स्वैच्छिक बाज़ार में इन कसौटियों के माध्यम से www.cdmgoldstandard.org स्राव कम करने वाले प्रोजेक्टों को सर्टिफिकेट देती है

## 3.3. तीसरा चरण: वैधीकरण व 30 दिन का जनता द्वारा टिप्पणी की अवधि

विकास कर्त्ता के पास अव एक वेसलाइन जॉच की योजना होती है जो कि तय किए गए तरीकों से निकाली जाती है, जिसे शामिल देशों के भाग लेने के स्वैच्छिक स्वीकृति प्राप्त होती है व मेज़बान देश की इस बात पर सहमति होती है कि प्रोजेक्ट दीर्घकालीन विकास में योगदान देता है और उसके पास एक अन्तिम पी डी डी भी होती है। अब प्रोजेक्ट मान्यता प्राप्त करने के लिए तैयार है। यह वह चरण है जहॉ वैलिडेटर सभी ज़रूरतों का विश्लेषण करने के बाद सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड को प्रोजेक्ट को मान्यता देने के लिए सिफारिश करता है। इससे पहले के सालों में इस सिफारिश के आधार पर एग्ज़िक् यूटिव बोर्ड के द्वारा मान्यता मिल जाया करती थी परन्तु हाल में वैलिडेटरों के खराब प्रदर्शन के कारण पुनरीक्षण के केसों में खासी बढ़ोत्तरी हुई है व पंजीकरण  के लिए आए हुए कई प्रोजेक्ट नामंज़ूर किए गए हैं।

वैलिडेटर के इस बात का विश्लेषण करने के पहले कि क्या प्रोजेक्ट विकास कर्त्ता ने पी डी डी की मुख्य ज़रूरतों का ध्यान रखा है कि नहीं जनता को अपनी टिप्पणी देने के लिए 30 दिन  की अवधि होती है। पी डी डी के जनता के पास पहुॅचने के बाद प्रयुक्त तरीकों में किसी कारणवश वदलाव आता है तो वैलिडेटर को फिर से एक पी डी डी बनाना होता है जो एक बार फिर 30 दिन के लिए जनता को उपलव्ध होता है। इस अवधि में आप वैलिडेटर के समक्ष इस संदर्भ में कि प्रोजेक्ट स्वीकृति की ज़रूरतों को पूरा करता है कि नहीं व उसे मंजूरी मिलनी चाहिए या नहीं, अपनी चिंताएॅ रख सकते हैं। इसीलिए मान्यता देना किसी भी प्रोजेक्ट को भद्र समाज द्वारा स्वीकृत किए जाने का केन्द्रिय विन्दु होता है।

[35] फरवरी 2010 तक केवल 147 प्रोजेक्ट नामंज़ूर किए गए थे। अधिक जानकारी http://cdm.unfccc.int/Projects/rejected.html पर

[36] ई बी 25 आर ई पी , पैरा 92 93

**टिप्पणी के लिए चेक लिस्ट:**

- क्या प्रोजेक्ट का डिज़ाइन बनाते समय विकास कर्त्ता ने आपकी सलाह ली थी? यदि हॉ, तो क्या पी डी डी में जो आपकी टिप्पणी का सारांश दिया गया है वह जो आपने कहा उसे सही तरह से प्रस्तुत करता है? क्या वह आपके द्वारा उठाई गई चिंताओं के विषय में बात करता है?
- क्या प्रोजेक्ट का पर्यावरण का विश्लेषण उपयुक्त है?
- इस प्रोजेक्ट के एक सी डी एम प्रोजेक्ट की तरह पंजीकृत न होने की दिशा में क्या बेसलाइन के द्वारा सही व उचित अनुमान मिलता है?
- यदि यह प्रोजेक्ट सी डी एम प्रोजेक्ट की तरह पंजीकृत नहीं हुआ तब भी क्या यह आगे बढ़ पाएगा? कहने का तात्पर्य है कि क्या यह अतिरिक्त है?
- क्या आपके देश के सी डी एम अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट को सहमति दे दी है?
- क्या यह प्रोजेक्ट आपके देश मे दीर्घकालीन विकास में भागीदारी करता है?

जनता की टिप्पणी लिखने का एक तरीका है कि यह स्पष्ट कर दें कि प्रोजेक्ट में कैसे सी डी एम के नियमों का पालन नहीं होता। बॉक्स में आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी जिसमें उन मुख्य अवस्थाओं की चर्चा की गई है जो सी डी एम प्रोजेक्ट का विश्लेषण करते समय ध्यान में रखनी चाहिएं। यदि प्रोजेक्ट ने दी गई अवस्थाओं में से एक या एक से अधिक का पालन नहीं किया है तो आपको **30** दिन के भीतर अपने सुझाव भेज देने चाहिएं।

इस गाइड के पेजों में स्वीकृति की मुख्य ज़रूरतों को विस्तारपूर्वक समझाया गया है व पी डी डी के प्रासंगिक सेक्शनों में संदर्भित किया गया है। यह ध्यान में रखें कि प्रोजेक्ट के वैलिडेटर को जनता के समक्ष सभी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देनी होती है जो कि उस अवधि में की जाती हैं और यह भी बार बार सुनिश्चित करना होता है कि क्या प्रोजेक्ट के विकास कर्त्ता ने सी डी एम की सभी ज़रूरतों को पूरा किया है या नहीं। इसे वह दस्तावेज़ द्वारा कर सकता है यदि उसमें ठीक से सब दिया गया हो तो वरना उसे स्थानीय साझेदारों के साथ साक्षात्कार करने पड़ते हैं। प्रोजेक्ट तभी आगे बढ़ सकता है जब वैलिडेटर इस बात की पुष्टि कर दे कि आपके कहने के बावजूद भी यह प्रोजेक्ट सी डी एम की सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। यदि वैलिडेटर का मानना है कि प्रोजेक्ट को सहमति मिलनी चाहिए तो वह एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड को एक वैलिडेशन रिपोर्ट भेजता है जिसमें यह सुझाव दिया गया होता है कि प्रोजेक्ट पंजीकृत हो जाना चाहिए। वैलिडेशन रिपोर्ट को बोर्ड को भेजने से पहले जनता को दिखाया जाना चाहिए व उसमें यह बात समझाई हुई होनी चाहिए कि कैसे सभी टिप्पणियों को लिया गया है। यदि आपने किसी प्रोजेक्ट में कोई टिप्पणी दी है तो आपको यह ज़रूर देखना चाहिए कि उसे रिपोर्ट में किस तरह शामिल किया गया है या शामिल किया भी गया है कि नहीं।

[37] यदि डी ओ ई प्रोजेक्ट को नामंजूर कर देता है तो वे रिपोर्ट तो नहीं भेजते परन्तु उन्हें यह समझाना पड़ता है कि प्रोजेक्ट को मंजूर क्यों नहीं किया गया। यह ध्यान रखें कि प्रोजेक्ट को फिर से पुनरीक्षण के लिए व बदलावों के बाद फिर मान्यता और पंजीकरण के लिए भेजा जा सकता है।

इस बात का ध्यान रखें कि आपके द्वारा दी गई टिप्पणी बहुत लम्बी न हो या उसमें प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए चाहिए सभी ज़रूरतों व तकनीकी बारीकियों का विस्तृत वर्णन न हो। आप केवल एक पैरा एक ज़रूरत को बताते हुए ई मेल या फैक्स कर सकते हैं। सी डी एम वॅाच की वेबसाइट http://www.cdm-watch.org/?page_id=711 में जाकर आप जमा की हुई टिप्पणियों को देख सकते हैं।

जनता की टिप्पणी के लिए दिए गए **30** दिन की अवधि की सूचना आपको यू एन एफ सी सी सी की वेबसाइट http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation/index.html पर देखने को मिल सकती है। दुर्भाग्यवश यू एन एफ सी सी सी सी डी एम प्रोजेक्टों के लिए जनता की टिप्पणी के लिए दी जाने वाली अवधि का कोई नोटिस जारी नहीं करती है। हालांकि यदि आप सी डी एम के नए प्रोजेक्टों पर जनता की टिप्पणी की अवधि के विषय में नई जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो आप हमें info@cdm-watch.org पर ई मेल कर सकते हैं व हम आपको ये जानकारियॉं देते रहेंगे। अपने डी एन के सम्पर्क में रह कर यह पता करते रहना कि कौन से नए प्रोजेक्टों का विकास हो रहा है व वे जनता की टिप्पणी के लिए कब खुलेंगे यह भी एक अच्छा विचार होता है।

## 3.4. चौथा चरण: सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड द्वारा पंजीकरण

एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड के द्वारा पंजीकरण वैलिडेशन रिपोर्ट मिलने के ठीक **8** सप्ताह के बाद होता है केवल उस स्थिति को छोड़ कर जब प्रोजेक्ट में भाग लेने वाले एक देश या एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड के कम से कम तीन सदस्य पुनरीक्षण की मॉग करें। सैद्धान्तिक रूप में भद्र समाज के लोगों के लिए किसी प्रोजेक्ट की मंजूरी को प्रभावित करने का यह आखिरी अवसर होता है। यदि आपका मानना है कि आपके क्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट को मंज़ूरी नहीं मिलनी चाहिए तो आपको अपनी स्थानीय सरकार के साथ मिलकर पुनरीक्षण के लिए निवेदन करना चाहिए। वास्तव में ऐसा होना तब मुश्किल होता है जब वे प्रोजेक्ट को पहले ही मंज़ूरी दे चुके होते हैं परन्तु फिर भी अपनी चिंता प्रकट करना ठीक होता है। जो प्रोजेक्ट पंजीकरण के लिए निवेदन करते हैं उनकी संख्या **30** से **70** प्रति माह के बीच होती है इसलिए यह हुआ है कि समस्या वाले प्रोजेक्ट इस प्रकिया के बीच से निकल जाते हैं। इसलिए इस बात का सुझाव दिया जाता है कि सी डी एम के समस्यापूर्ण प्रोजेक्टों के विषय में जागरूकता फैलाई जाए। यदि आपको किसी नुकसानदायक प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी है तो कृप्या सी डी एम वॉच को info@cdm-watch.org पर सम्पर्क करें। इससे नुकसानदायक प्रोजेक्ट या बगैर अतिरिक्त सी डी एम प्रोजेक्ट के पंजीकरण को राजनीतिक दबाव बनाकर रोका जा सकता है।

## 3.5. पॉचवा चरण: स्रावों में कमी की जॉच

जैसे ही किसी प्रोजेक्ट का पंजीकरण हो जाता है विकासकर्त्ता उसके स्रावों में कमी की जॉच जो कि पी डी डी के जॉच की योजना में तय की गई है उसके तहत जॉच करना शुरू कर देता है। प्रोजेक्ट को चलाने वालों को सभी ज़रूरी ऑकड़ों को जमा करके लेखागार में रखने चाहिएं ताकि स्रावों की कमी को जोड़ कर जॉच की रिपोर्ट लिखी जा सके।

## 3.6. छठा चरण: स्रावों में कमी के क्रेडिटों का सत्यापन व प्रमाणीकरण करके उन्हें जारी करना

[38] 2 प्रतिशत कम करके जिन्हें अडैप्टेशन फंड के लिए रखा जाता है। विवरण के लिए ग्लौसरी देखें

इससे पहले कि प्रोजेक्ट क्रेडिट अर्जित करे एक डेज़िग्नेटिड ऑपरेश्नल एन्टिटी (जो कि उससे अलग हो जिसने कि वैलिडेशन किया था) को यह सत्यापित करना होता है कि जो कमियॉं जॉंच रिपोर्ट में दिखाई जा रही हैं वे वास्तव में हो रही हैं व फिर एक प्रमाण रिपोर्ट तैयार करनी होती है। यह सत्यापन समय समय पर किया जाता है जैसे क्रेडिट की अवधि में हर दो महीने पर। यह प्रमाण रिपोर्ट व जॉंच रिपोर्ट दोनों को जनता के सामने रखा जाता है। यदि सत्यापन करने वाले का निष्कर्ष यह है कि कमियॉं आई हैं तो वे एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड को यह लिखित में जारी करके देते हैं। इस दस्तावेज़ को भी जनता के समक्ष रखना होता है। सत्यापन की प्रक्रिया में साइट पर जाना व स्थानीय साझेदारों के इन्टरव्यू लेना करना होता है हालंकि यह ज़रूरी नहीं होता।

सर्टिफिकेशन के बाद क्रेडिट जारी कर दिए जाते हैं। सर्टिफिकेशन एग्जिक्यूटिव बोर्ड को कार्बन क्रेडिट – सी ई आर जारी करनेप के लिए एक प्रार्थना पत्र के रूप में होता है। ये क्रेडिट उन स्रावों के बराबर होते हैं जिनकी कमी को सत्यापित किया गया है। यदि यह सत्यापित किया गया है कि 15000 टन कार्बन डाय ऑक्सिइड के स्राव में कमी आई तो 15000 सी ई आर जारी किए जाते हैं । बोर्ड के सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के 15 दिन बाद इन्हें जारी किया जाता है। जैसे कि पंजीकरण के चरण पर पुनरीक्षण होता है वैसे ही इनको जारी करने की प्रक्रिया में भी कोई प्रोजेक्ट में भाग लेने वाला या प्रभावित सरकार या एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड के तीन सदस्य पुनरीक्षण की मॉंग कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि सत्यापन व जारी करने में भी पंजीकरण होने के बाद भी किसी सी डी एम प्रोजेक्ट को प्रभावित किया जा सकता है। यदि आपको लगता कि प्रोजेक्ट से स्रावों में उतनी कमी नहीं आ रही है जितनी कि कही गई थी तो सत्यापन करने वाले को या सी डी एम वॉच को इस जानकारी के साथ सम्पर्क कर सकते हैं। डेज़िग्नेटिड ऑपरेश्नल एन्टिटी जिस जानकारी के आधार पर स्रावों में कमी को किसी प्रोजेक्ट के लिए सत्यापित कर रहा है वह हमेशा प्रोजेक्ट की जानकारी के साथ बताई जाती है। आप प्रोजेक्टों को http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html. पर खोज सकते हैं।

सत्यापन,प्रमाणीकरण व जारी करने की प्रक्रिया पूरी उस अवधि के दौरान चलती है जब तक वह प्रोजेक्ट क्रेडिट ले रहा है।

## 3.7. सातवॉं चरण: आकलन करने की अवधि का नवीनीकरण

[39] CP/2001/13/Ad2, p23 para13]
[40] EB43 Anx13

प्रोजेक्ट चलाने वाला नीचे दिए दो तरीकों में से एक को चुन कर क्रेडिटिंग की अवधि को तय कर सकता है:

- अधिकतम 7 वर्षों के लिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा दो बार नवीनीकरण किया जा सकता है।
- अधिकतम 10 वर्षों के लिए जिसमें नवीनीकरण नहीं किया जा सकता।

**क्रेडिट की अवधि के नवीनीकरण (केवल 7 वर्ष के लिए) के लिए एक सम्पूर्ण परिदृश्य**

- नई बेसलाइन के साथ एक नया पी डी डी , स्रावों में अनुमानित कमी व जॉंच योजना की आवश्यकता होती है।
- इस नए पी डी डी को क्रेडिट अवधि के नवीनीकरण की प्रार्थना के लिए यू एन एफ सी सी सी सेक्रेटेरियट को वर्तमान क्रेडिट अवधि के समाप्त होने के 9 से 6 महीने पहले भेजा जाना चाहिए।
- नए पी डी डी को 4 सप्ताह के लिए जनता के समक्ष रखा जाना चाहिए।
- वैलिडेशन के मत को मूल बेसलाइन की वैधता या नवीनीकरण को निम्न मुद्दों के विश्लेषण के द्वारा किया जाना चहिए:
  - नई सम्बधित राष्ट्रीय व क्षेतीय पॉलिसियों व स्थितियों का बेसलाइन पर प्रभाव जिसमें ई बी मार्गदर्शन का भी ध्यान रखा जाए।
  - बेसलाइन या उसके नए स्वरूप की लगातार वैधता को तय करने के लिए तरीकों को सही प्रकार से लागू करना व दिए गई क्रेडिट अवधि के दौरान स्रावों में कमी का अनुमान लगाना।
  - यू एन एफ सी सी सी पूर्णता का चेक करता है।
- यदि पुनरीक्षण के लिए कोई निवेदन नहीं किया जाता तो क्रेडिट अवधि का नवीनीकरण कर दिया जाएगा।

क्रेडिट की अवधि पंजीकरण से पहले शुरू की जा सकती है व सन् 2000 से पहले स्रावों में कमी के सी ई आर  लेने के लिए भी हो सकती है। इसीलिए वे सी डी एम प्रोजेक्ट जो नवीनीकरण वाली 7 वर्षीय योजना को चुनते हैं उन्होंने अपनी क्रेडिट अवधि का नवीनीकरण करा लिया है व वे उसके दूसरे दौर में हैं। क्रेडिट अवधि के नवीनीकरण के लिए एक नई पी डी डी की आवश्यकता होती है जो कि यह साबित करे की मूल बेसलाइन अभी वैध है या फिर उसका नवीनीकरण किया गया है। नवीनीकरण का तरीका पंजीकरण की प्रार्थना करने की तरह ही होता है व आधिकारिक तौर पर उसमें आपके सुझावों के लिए कोई स्थान नहीं होता। नए पी डी डी को यू एन एफ सी सी सी की आधिकारिक वेब साइट पर 4 सप्ताह के लिए अपलोड कर दिया जाता है व उससे पहले वैलिडेटर को मूल बेसलाइन या उसके नए स्वरूप  का विश्लेषण करना होता है। यदि नवीनीकरण की प्रार्थना करने के 4 सप्ताह के अन्दर कोई पुनरीक्षण का निवेदन नहीं आता तो पंजीकृत सी डी एम प्रोजेक्ट की क्रेडिट अवधि का नवीनीकरण स्वत: 7 वर्षों के लिए कर दिया जाता है। क्रेडिट अवधि के नवीनीकरण की प्रक्रिया के विषय में और जानकारी प्राप्त करने के लिए कृप्या बॉक्स को देखें।

## 4. भद्र समाज द्वारा दिए गए सुझावों के लिए अवसरों का पुनरावलोकन

| प्रोजेक्ट का चक | | जनता के सुझाव |
|---|---|---|
| प्रोजेक्ट के डिज़ाइन का दस्तावेज़ (पी डी डी) तैयार करना | 1 | प्रोजेक्ट की तैयारी करते समय विकासकर्त्ता को आपसे प्रोजेक्ट के डिज़ाइन के सम्बन्ध में परामर्श करना चाहिए।<br>विकासकर्त्ता को प्रोजेक्ट के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण भी प्रदान करना चाहिए। आपके राष्ट्रीय व क्षेत्रीय नियमों के अनुसार इसमें एन्वायरॉन्मेन्टल इम्पैक्ट असेसमेन्ट की ज़रूरत भी हो सकती है जिसमें जनता द्वारा टिप्पणी की अवधि भी शामिल होगी।<br>यदि प्रोजेक्ट किसी नई बेसलाइन या जॉच के तरीकों का प्रयोग कर रहा है तो प्रोजेक्ट के वैलिडेशन से पहले इनका अनुमोदन हो जाना चाहिए। इसके लिए 15 दिन की टिप्पणी की अवधि होती है। |
| भाग लेने वाले प्रत्येक देश से स्वीकृति लेना | 2 | यदि आप मेज़बान देश हैं तो आपके डी एन ए को प्रोजेक्ट को स्वीकार करना चाहिए व यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दीर्घकालीन विकास में सहयोग देता है। इस निर्णय के विषय में आपके पास सहयोग होना चाहिए। |
| वैलिडेशन पर 30 दिन की जनता द्वारा टिप्पणी की अवधि | 3 | प्रोजेक्ट के वैलिडेशन से पहले पी डी डी को 30 दिन के लिए जनता की टिप्पणी के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। |
| सी डी एम एग्ज़िक यूटिव बोर्ड के द्वारा पंजीकरण | 4 | यदि आपका मानना है कि आपके क्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए तो आपको अपनी स्थानीय सरकार के साथ मिलकर पुनरीक्षण की प्रार्थना करनी चाहिए व सी डी एम वॉच को भी सूचित करना चाहिए। |
| स्रावों में कमी की जॉच | 5 | |
| स्रावों में कमी का सत्यापन, सर्टिफिकेशन व इन्हें प्रदान करना | 6 | यदि आप मानते हैं कि प्रोजेक्ट उस प्रकार से नहीं प्रदर्शन कर रहा है जैसे कि विकासकर्त्ता ने कहा था तो आप सत्यापन करने वालों व सी डी एम वॉच से सम्पर्क कर सकते हैं। |
| केडिट की अवधि का नवीनीकरण | 7 | • नए पी डी डी को जनता की टिप्पणी के लिए उसके सामने 4 सप्ताह तक रखा जाना चाहिए। |

## 5. परियोजना के विशेष कार्यों की एक समीक्षा

सैद्धान्तिक तौर पर प्रत्येक सी डी एम प्रोजेक्ट, केवल परमाणु ऊर्जा , ज़मीन का सीमित उपयोग व ज़मीन के उपयोग में बदलाव और वानिकी के प्रोजेक्ट कार्यों बनारोपण व पुनरोपण  को छोड़ कर, का कार्य सी डी एम प्रोजेक्ट के तहत आ सकता है। इन लचीले नियमों के कारण बहुत से अलग अलग प्रकार व आकार के प्रोजेक्ट कार्य होते हैं। इसकी प्रतिकिया स्वरूप समय के साथ साथ सी डी एम के नियमों को बदला जा चुका है व विशेष नियम कुछ प्रोजेक्ट कार्यों के लिए दिखाई दे रहे हैं।

[41] सी पी/2001/13/ए डी 2, पेज 20
[42] सी पी/2001/13/ए डी 2, पेज 22, पैरा 7 ए

## 5.1. लघु परियोजनाए

मारकेश अकॉर्ड ने उन प्रोजेक्टों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई है जो किसी विशेष आकार के हैं। इन लघु स्तर के प्रोजेक टों को निम्न प्रकार से पारिभाषित किया जा सकता है:

- स्वाभाविक रूप से पुन: पैदा होने वाली ऊर्जा वाले प्रोजेक्ट जिनकी क्षमता 15 मेगा वॉट से कम हो या
- ऊर्जा बचाने वाले प्रोजेक्ट जो ऊर्जा की खपत को सालाना 15 जी डब्लू एच से कम करते हों या
- वे प्रोजेक्ट जो अन्य स्रोतों से स्राव कम करते हों या सीधे स्वयं भी सालाना 15 किलो टन कार्बन डाय ऑक्साइड से कम स्राव करते हों।

लघु स्तर के प्रोजेक्ट स्वयं भी एक अलग प्रोजेक्ट डिज़ाइन का दस्तावेज़, लघु स्तर के अलग तरीके व वैलिडेशन के लिए सरल नियमों और पद्धतियों का प्रयोग करते हैं।

- प्रमाणीकरण, सत्यापन व सर्टिफिकेशन के लिए एक ही वैलिडैटर हो सकता है (दीर्घ स्तर के प्रोजेक्टों के लिए 2 अलग अलग वैलिडैटर होते हैं)
- ई बी द्वारा किए गए पंजीकरण को पंजीकरण के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र को प्राप्त करने की तारीख़ के 4 सप्ताह के पश्चात (दीर्घ स्तर के लिए 8 सप्ताह) अन्तिम माना जाएगा।
- अतिरिक्तता का सरल परीक्षण

हालांकि लघु स्तर के प्रोजेक्टों में जनता की भागीदारी व पर्यावरण की विश्लेषण की ज़रूरतें एक सामान्य प्रोजेक्ट जैसी ही होती हैं। यदि आप किसी लघु स्तर के प्रोजेक्ट का विश्लेषण कर रहे हैं तब भी आप इस गाइड का प्रयोग कर सकते हैं। अधिक तकनीकी जानकारी के लिए आप "स्मॉल स्केल वर्किंग ग्रूप" की वेबसाइट को भी देख सकते हैं जो कि एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड द्वारा उन सुझाए गए तरीकों व प्रोजेक्ट के प्रकारों के पुनरीक्षण के लिए स्थापित की गई है जो लघु स्तर के लघु स्तर के प्रोजेक्ट कार्यों के लिए है।

[43] http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/index.html
[44] सी एम पी/2005/8/ए डी एल, पेज 45, पैरा 9
[45] सी एम पी/2005/8/ए डी एल, पेज 48, पैरा 24
[46] http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/AppB_SSC_AttachmentA.pdf
[47] http://cdm.unfccc.int/Panels/ssc_wg

## 5.2. कमज़ोर (सिंक) परियोजनाएँ

वनारोपण व पुनरोपण (ए/आर) के प्रोजेक्ट सी डी एम के अन्य प्रोजेक्ट कार्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे जी एच जी स्रावों को कम तो नहीं करते परन्तु उन्हें केवल कुछ समय के लिए दूर कर देते हैं। इसलिए ए/आर नियम विशेष तौर पर नीचे दिए गए अन्तरों को बताता है:

- अस्थाई: वह कार्बन डाय ऑक्साइड जो पेड़ों में शान्त पड़ी रहती है वह पेड़ों के मरने पर जैसे की आग लगने पर पर्यावरण में फैल जाती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए अलग प्रकार के सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन बनाए गए जिनका नाम टेम्पोररी सी ई आर (टी सी ई आर) लॉग टर्म सी ई आर (एल सी ई आर) रखा गया। परन्तु ये टी सी ई आर व एल सी ई आर केवल कुछ अवधि के लिए ही वैध होते हैं व उन्हें किसी दूसरे - स्थाई - से किसी समय पर बदला जाना चाहिए।

- केडिट की लम्बी अवधि : प्रोजेक्ट के विकासकर्त्ता एक लम्बे केडिट की अवधि जैसे कि 20 वर्ष को चुन सकते हैं जिसका दो बार नवीनीकरण किया जा सकता है (अधिकतम 60 वर्ष), या अधिकतम 30 वर्ष की अवधि को चुना जा सकता है। (प्रोजेक्ट के अन्य कार्यों के लिए समय सीमा 7 वर्ष की होती है जिसका 2 बार नवीनीकरण कराया जा सकता है या फिर बगैर नवीनीकरण कराए हुए अधिकतम 10 वर्ष तक)

**सिंक प्रोजेक्ट के कार्यों के विषय में अतिरिक्त चिंताएँ**

- क्या प्रोजेक्ट के द्वारा उसके क्षेत व एकदम उससे बाहर के क्षेत में भूमि के प्रयोग में बदलावों की शुरूआत या उनमें बढ़ोत्तरी होने की या फिर मन मुटाव होने की संभावना है?
- क्या इस प्रोजेक्ट के परिणामस्वरूप लोगों का या चले आ रहे स्थानीय कार्यों का विस्थापन हो सकता है?
- क्या इस प्रोजेक्ट के द्वारा उस स्थान पर होने वाली कृषि कियाएँ हट सकती हैं?
- क्या यह प्रोजेक्ट भूमि के प्रयोग की स्थानीय ज़रूरतों व प्राथमिकताओं से टकराता है या उन्हें नकारता है?
- यदि अपने आप में यह प्रोजेक्ट स्थानीय समुदाय व जैव विविधता के संरक्षण के लिए लाभदायक है तो कार्बन फाइनेंस के कौन से विकल्प मौजूद हैं जो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकने में सहायक हैं?

ए/आर वाले सी डी एम प्रोजेक्टों के अन्य नियम व तरीके उन्हीं की तरह हैं जो सी डी एम के जी एच जी स्राव कम करने वाले प्रोजेक्ट के कार्यों के हैं। उन प्रोजेक्टों के लिए जो जी एच जी को 16000 टी कार्बन डाय ऑक्साइड सालाना से कम करने का अनुमान लगाते हैं व वे प्रोजेक्ट जो कम आय वाले समुदाय व व्यक्तियों के द्वारा विकसित किए जाते हैं उनमें विशेष लघु स्तर वाले नियम लागू होते हैं। दोनों लघु स्तर व सामान्य ए/आर प्रोजेक्टों के लिए विशेष तरीके प्रयोग किए जाते हैं। ए/आर प्रोजेक्टों के लिए जनता की भागीदारी व पर्यावरण के विश्लेषण की ज़रूरतें वही होती हैं जो किसी सामान्य प्रोजेक्ट के लिए होती हैं। यदि आप किसी ए/आर प्रोजेक्ट का विश्लेषण कर रहे हैं तब भी आप इस गाइड का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि वानिकी से सम्बन्धित कियाओं के विशिष्ट परिणामों को ध्यान में रखते हुए यदि आपके सामने कोई कार्बन सिंक प्रोजेक्ट आए तो आप आप बॉक्स में दिए गए प्रश्नों को पूछ सकते हैं।

[48] उन स्थानों पर नए वन लगाना जहॉ एतिहासिक रूप में जंगल नहीं थे, यू एन एफ सी सी सी मौसम में बदलाव के एकोनिम की ग्लौसरी देखें
[49] उस भूमि पर वन लगाना जहॉ पहले तो वन थे परन्तु फिर वे किसी अन्य काम के प्रयोग में आने लगे, यू एन एफ सी सी सी मौसम में बदलाव के एकोनिम की ग्लौसरी देखें
[50] सी एम पी/2005/8/ए डी एल, पेज 71, पैरा 42

### कार्यों का एक प्रोग्राम (पी ओ ए)

- एक स्वैच्छिक व समन्वित कार्य है जो व्यक्तिगत या सार्वजनिक रूप में किया जाता है।
- किसी भी पॉलिसी/तरीके या तय किए गए लक्ष्य को समन्वित करके लागू करता है जैसे कि बढ़ावा देने वाली स्कीमें व स्वैच्छिक कार्यक्रम
- इससे जी एच जी स्रावों में कमी या सिंक के द्वारा उसे निकाल दिया जाता है।
- अनेक सी डी एम के प्रोग्राम कार्यों द्वारा यह किया जाता है।

### एक सी डी एम प्रोजेक्ट कार्य (सी पी ए)

- क्या किसी प्रोजेक्ट का कार्य सी डी एम के प्रोजेक्ट के कार्यों में शामिल है;
- एक व्यक्तिगत तरीके से या फिर आपसे में सम्बन्धित तरीकों द्वारा;
- जी एच जी स्रावों को कम करने में या सिंक द्वारा हटाने में जो कि बेसलाइन तरीकों में तय किसी एक क्षेत्र में किए जाते हैं;
- प्रयोग किए गए तरीके यह निर्धारित करेंगे कि सी डी एम के प्रोग्राम कार्य एक सुविधा में/लगाए जाने में/भूमि में या फिर अनेक सुविधाओं में/लगाए जाने में/भूमि में किए गए;
- लघु स्तर के तरीकों का प्रयोग भी किया जा सकता है।

## 5.3. कार्यों के प्रोग्राम

अक्सर पॉलिसियों व मानकों को सी डी एम प्रोजेक्ट के कार्य नहीं माना जाता है। हालांकि 'कार्यों के प्रोग्राम' में वे पॉलिसियॉ आ जाती हैं जो जी एच जी में कमी या सिंक के द्वारा उन्हें हटाती हैं वे सी डी एम में हो सकती हैं। विचार सी डी एम के क्षेत्र को बढ़ाने का था व अलग अलग प्रोजेक्टों के माध्यम से जी एच जी स्राव में कमी के कार्यो को बढ़ाना मुश्किल व बहुत समय व्यर्थ करने वाला था। वास्तव में यह निम्न तरीके से कार्य करता है:

उदाहरण के लिए कार्यो के प्रोग्राम सी यू आई डी ई एम ओ एस मेक्सिको में ऊर्जा बचाने वाले बिजली के बल्वों को मेक्सिको के सभी घरों में बॉटा गया। इस केस में पॉलिसी का वह ढॉचा तैयार किया गया जो मेक्सिको के आवासीय क्षेत्रों में ऊर्जा खपत को मज़बूती प्रदान करेगा कार्यो का प्रोग्राम हुआ। हालांकि केवल पॉलिसी का ढॉचा बना लेने से ही स्राव कम नहीं हो जाते। इसलिए प्रत्येक प्रोग्राम का कार्य अनेक सी डी एम प्रोग्राम कार्यो के द्वारा स्रावों को कम कर सकता है (वे कार्य जो पॉलिसी ढॉचे के अनुसार कार्यान्वित किए जाते हैं = घरों के लिए विशिष्ट बल्व)

[51] सी एम पी/2005/8/ए डी एल, पेज 67, पैरा 23
[52] सी पी/2004/10/ए डी 2, पेज 26, पैरा 1 बी
[53] सी एम पी/2005/8/ए डी एल, पेज 62, पैरा 1(1 ए)
[54] http://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/index.html
[55] सी डी एम प्रोजेक्ट 2535 ः छ्रीडश्ैंश ंएक्ष्चि ह्यछाम्पान डए ूरे ीन्तएलएगएन्तए डए श्र्नएरगी ंएक्ष्च्हि – श्मरत ूसए े फ श्र्नएरगर

## 6. परियोजना डिज़ाइन दस्तावेज़ (पी डी डी) में मुख्य प्रमाणीकरण की आवश्यकता

सी डी एम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखते समय वैलिडेशन की आधिकारिक ज़रूरतों को देखना बहुत आवश्यक होता है। यदि आपके पास सही गाइडलाइन व उपकरण आसानी से उपलब्ध हों तो यह सत्यापित करना कि दी गई जानकारी काफी है या कोई ज़रूरतों में कमी है।
नीचे मुख्य गाइडलाइनों व उपकरणों की एक सूची दी जा रही है जो पी डी डी के हर सेक्शन के विषय में सही जानकारी उपलब्ध कराते हैं:

- क्लीन डेवेलपमेन्ट मैकेनिज़्म वैलिडेशन एन्ड वेरिफिकेशन मैन्युअल (सी डी एम वी वी एम)
- गाइडलाइन्स फॉर कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेन्ट (सी डी एम-पी डी डी) व प्रस्तावित नई बेसलाइन व जॉच के तरीके (सी डी एम-एन एम)
- अतिरिक्तता की जॉच व विश्लेषण के लिए उपकरण
- बेसलाइन के परिदृष्य को पहचानने व अतिरिक्तता को प्रदर्शित करने के लिए मिलेजुले उपकरण
- निवेश के विश्लेषण का मूल्यांकन करने के लिए गाइडलाइन
- सी डी एम के पूर्व ध्यान में रखने योग्य जॉच व विश्लेषण प्रकिया के लिए गाइडलाइन

वैलिडेशन की ज़रूरतों का एक परिदृष्य आपको देने के लिए हमने पी डी डी के मुख्य भागों के लिए मुख्य विशेष ज़रूरतों को पी डी डी फॉर्म से निकाले गए सेक्शनों में उभारा है। गाइडलाइन से ली गई बातें आपको आधिकारिक दस्तावेज़ों में मिल सकते हैं। इनका स्रोत भी नीचे वताया गया है। हमारी अतिरिक्त टिप्पणी भी पास के एक बॉक्स में आपको मिल सकती है।

कृप्या यह ध्यान दें कि हमने पी डी डी फॉर्म के कुछ भाग काट दिए हैं परन्तु आप http://cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/PDDs/index.html. परअलग अलग पी डी डी के मूल स्वरूप देख सकते हैं।

यह देखना ज़रूरी होता है कि सी डी एम के अन्दर आने वाले प्रोजेक्ट को एक समय पर दो बार सहायता न मिले। इसलिए एनेक्सचर 1 की पार्टियों को यह प्रतिज्ञा लेनी होती है कि सामाजिक फंडिंग के परिणामस्वरूप ओ डी ए का दिशा परिवर्तन न हो व उसकी गिनती उन पार्टियों की आर्थिक ज़िम्मेदारी न बने

| सेक्शन ए | प्रोजेक्ट के कार्य का सामान्य विवरण |
|---|---|

ए.4.5. प्रोजेक्ट के कार्य की सार्वजनिक फंडिंग

यदि एनेक्सचर ए में शामिल पार्टियों से फंडिंग ली जा रही है तो एनेक्सचर 2 में यह जानकारी दी जानी चाहिए कि जो प्राजेक्ट का कार्य एनेक्सचर 1 में शामिल पार्टियॉं करने जा रही हैं उनकी सार्वजनिक फंडिंग का स्रोत कहॉं है जिससे यह सुनिश्चत हो जाएगा कि इस तरह की फंडिंग के परिणाम स्वरूप कहीं विकास में आधिकरिक मदद इधर उधर तो नहीं चली जा रही है व उससे अलग तो नहीं हो रही है या उसकी गिनती उन पार्टियों के प्रति होने वाले पैसों से सम्बन्धित कामों में तो नहीं की जा रही है।

[62] PDD Guidelines, p9

[56] http://cdm.unfccc.int/Reference/Manuals/accr_man01.pdf
[57] http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/pdd/PDD_guid04_v07.pdf
[58] http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.pdf
[59] http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-02-v2.2.pdf
[60] http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/reg/reg_guid03.pdf
[61] http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/reg/reg_guid04.pdf

डएव्एंल्पनि ा बसएलनिए रि चरतिचिल फेर दएचदिनि ढ्ढहएतहएर ा छडं परेजएच्त रि ाददतिंनिल़ बएचुसए तएस्तनि फेर ाददतिंनिलतिर न्व्लिवएस ास्कनि ढ्ढहएतहएर तहए छडं परेजएच्त रि तहए बसएलनिए – ाि ए। ढ्ढहएतहएर तहए परेजएच्त तिसएल्फ रि तहए बुसनिएसस ास्ुसलु तचेमए। द्वहएन ास्सएस्सनि तहए प्डड ति रि तहएरएफेरए ढ्रेरतहढ्ढहल्रिए च्हएच्कनि ढ्ढहएतहएर ाल्ल ाल्तएरनतविए स्चएनर्रोर हावए बएएन चेन्सदिएरएद। प्रेजएच्त दएवएंल्पएररे फतएन तएन्द ते "फेरगएत" ाल्तएरनतविए स्चएनर्रोर ाि ए। रएन्एद्धाब्लए एन्एरग्र सुेरचएस म्पिरतएद एलएच्तरचितिर एतच।

## सेक्शन बी वेसलाउन व निरीक्षण के तरीकों का प्रयोग

### वी 4. वेसालाइन का परिदृष्य व कैसे पहचाना जाता है व पहचाने गए परिदृष्य का विवरण

वेसालाइन परिदृष्य को पहचानने के लिए पी डी डी को दिए गए प्रोजेक्ट की तुलना "वास्तविक व उचित विकल्पों से करनी चाहिए जो कि प्रोजेक्ट में भाग लेने वालों को ऐसे ही किसी अन्य प्रोजेक्ट के विकास करने वालों को इस सी डी एम प्रोजेक्ट कार्य के तुलनात्मक नतीजे या सेवाएँ प्रदान करते हों"। जितने भी परिदृष्य सी डी एम के प्रोजेक्ट कार्य के सम्बन्ध में उचित हों उन सभी को ध्यान में रखना चाहिए व कोई भी उचित परिदृष्य छूटने नहीं चाहिऐं ।

### वी 5. वी 5. जी एच जी के एन्थ्रोपोजेनिक स्रावों में उससे कमी आती है जो कि उस पंजीकृत सी डी एम प्रोजेक्ट के कार्य के बगैर होते (अतिरिक्तता का विश्लेषण व प्रदर्शन)

प्रोजेक्ट के विकासकर्त्ता को इस बात का विवरण देना होता है कि किस प्रकार प्रस्तावित प्रोजेक्ट के कार्य अतिरिक्त हैं। अधिकतर प्रोजेक्ट इसके लिए "टूल्स फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन एन्ड असेसमेन्ट ऑफ एडिशनैलिटी" का प्रयोग करके यह समझाते हैं कि क्यों व कैसे यह प्रोजेक्ट कार्य अतिरिक्त है न कि बेसलाइन परिदृष्य में चुनी हुई बेसलाइन प्रणालियों में से एक। सभी प्रोजेक्टों को निवेश या फिर अवरोध विश्लेषण में से एक को करना होता है। कई तो दोनों करते हैं। सभी को यह सिद्ध करना होता है कि प्रोजेक्ट "सामान्य चलन" का नहीं है। परन्तु सबसे पहले, प्रोजेक्ट कार्य के उन सभी विकल्पों की पहचान करनी होती है जो वर्तमान नियम कानून के अन्तर्गत आते हैं।

अतिरिक्तता के निम्न चार उपकरणों का संदर्भ यह निर्धारित करने में कि पी डी डी अपनी मूल ज़रूरतों को पूरा कर रहा है या नहीं बहुत आवश्यक होता है:
1) प्रोजेक्ट के कार्य के वास्तविक व उचित वैकल्पिक परिदृष्य जो कि न्याय संगत व ज़रूरतों के अनुसार हों उन्हें पहचानने की आवश्यकता होती है। यदि यह प्रोजेक्ट का कार्य ही प्रोजेक्ट में भाग लेने वालों के अनुसार नियमों को मानने वाला एकमात्र विकल्प है तो सुझाया गया सी डी एम प्रोजेक्ट कार्य अतिरिक्त नहीं माना जाता।

2) निवेश के विश्लेषण का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि सुझाया गया प्रोजेक्ट का कार्य सी ई आर की बिक्री से मिले धन के बगैर आर्थिक तौर पर या पैसों को देखते हुए बहुत बढ़िया नहीं है। इस विश्लेषण से पता लगता है कि सुझाया गया प्रोजेक्ट के कार्य से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ उस स्तर से नीचे हैं जो किसी विशेष प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए अच्छा माना जाता है। निवेश का विश्लेषण बहुत जटिल होता है। इसीलिए एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड ने एक मार्गदर्शिका प्रदान की हुई है जिसके प्रयोग द्वारा इस तरीके का उपयोग करने वाले प्रोजेक्ट का विश्लेषण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यह मार्गदर्शिका इस बात का भी अनुमान लगाती है कि निवेश का विश्लेषण इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि पढ़ने वाला उसे पढ़ कर विश्लेषण को उसी प्रकार वैसे ही परिणाम लाने के लिए प्रयोग कर सके।

3. अवरोध के विश्लेषण का प्रयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि अवरोध हैं जो खतरों की तरह दिखाई देते हैं जो कि सुझाए गए सी डी एम प्रोजेक्ट के कार्य को आगे बढ़ने से रोकते हैं परन्तु विकल्पों के प्रयोग को नहीं रोकते। इस विश्लेषण के अन्तर्गत खतरे को कार्बन क्रेडिट की बिक्री के द्वारा अर्जित धन से इस खतरे की भरपाई हो जाती है। यदि सी डी एम इन अवरोधों को जो सुझाए गए प्रोजेक्ट के कार्यो को होने से कम नहीं कर सकता तो प्रोजेक्ट का यह कार्य अतिरिक्त नहीं माना जाता।

4. सामान्य प्रचलन विश्लेषण उचितता का परीक्षण करने का एक टेस्ट है जो निवेश या अवरोध विश्लेषण के साथ किया जाता है व इसका प्रयोग इस बात का प्रदर्शन करने के लिए होता है कि प्रोजेक्ट का प्रकार सम्बन्धित सेक्टर व क्षेत्र में फैल तो नहीं गया है। यदि प्रोजेक्ट जैसे ही अन्य कार्य दिखाई देते हैं व उनमें और प्रोजेक्ट के कार्यों में काई खास अन्तर बताया नहीं जा सकता तो सुझाया हुआ प्रोजेक्ट कार्य अतिरिक्त नहीं माना जाता।

[63] ूल्स फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन एन्ड असेसमेन्ट ऑफ अडिशनैलिटी, एनेक्सचर 10, वर्जन 5.2, ई बी 39,4

[64] क्लीन डेवेलपमेन्ट मैकेनिज़्म वैलिडेशन एन्ड वेरिफिकेशन मैन्युअल, पेज 15

सी डी एम के पहले से ध्यान रखी गई बातें : यदि प्रोजेक्ट के शुरू होने की तिथि वैलिडेशन की तिथि से पहले की है तो इस बात का सबूत देना होता है कि सी डी एम से मिलने वाले इन्सेन्टिव को प्रोजेक्ट कार्य के शुरू होने से पहले गम्भीरता से सोचा समझा गया था। यह सबूत उन दस्तावेज़ों (जैसे आधिकारिक, कानूनी या कारपोरेट) पर आधारित होने चाहिऐं जिन पर प्रोजेक्ट कार्य के आरम्भ होने के पहले विचार किया गया था। इन केसों में प्रोजेक्ट के अनुभाग सुझाए गए सी डी एम प्रोजेक्ट के कार्यो को पूरा करने की एक टाइमलाइन प्रस्तुत करेंगे। इस टाइमलाइन में, जहाँ पर लागू हो, वह तिथि जिसमें निवेश का निर्णय लिया गया, वह तिथि जब निर्माण कार्य शुरू हुआ, वह तिथि जब उसे मान्यता मिली व काम आरम्भ होने की तिथि (जब कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ) देनी होती हैं। इस टाइमलाइन के साथ साथ प्रोजेक्ट में भाग लेने वालों को घटनाओं व कार्यों की जिनको सी डी एम का पंजीकरण कराते समय देखा गया था, उनकी भी टाइमलाइन इन कार्यो के सबूतों के साथ देनी होती है। इन टाइमलाइनों के द्वारा वैलिडेटर इस बात का भी विश्लेषण कर सकते हैं कि सी डी एम प्रोजेक्ट की निर्णय लेने की प्रकिया व प्रोजेक्ट के कार्यान्वन का कितनी गम्भीरता से पालन हो रहा है (ई वी 41, पैरा 68)

[65] एडिशनैलिटी टूल, पहला चरण, पेज 566

[66] असेसमेन्ट ऑफ इन्वेस्टमेन्ट अनैलिसिस के लिए गाइड अडिशलैलिटी टूल के साथ संलग्न है

[67] अडिशनैलिटी टूल, गाइडेन्स ऑन द असेसमेन्ट ऑफ इन्वेस्टमेन्ट अनैलिसिस, पैरा 8

[68] पी डी डी गाइडलाइन्स्, पेज 12; और देखें गाइडलान्स् ऑन डेमोन्स्ट्रेशन एन्ड असेसमेन्ट ऑफ प्रायर कन्सीडरेशन ऑफ सी डी एम

जैसा कि ऊपर समझाया जा चुका है, सन् 2000 के बाद हुई स्रावों में कमी कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के लिए योग्य है। इसलिए अतिरिक्तता का विश्लेषण करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण बाध्य करने वाला ज़रूरी नियम यह है कि प्रोजेक्ट के शुरू होने की तिथि उसके प्रमाणीकरण की तिथि से पहले की हो। इस केस में प्रोजेक्ट के विकासकर्त्ता को कड़े नियमों के द्वारा सी डी एम को यह विश्वास दिलाना होता है कि प्रोजेक्ट के कार्य को शुरू करते समय आय का गम्भीरता से ध्यान रखा गया था। यदि आप यह जानते हैं कि सी डी एम प्रोजेक्ट वैसे भी हो गया होता, चाहे वह पंजीकृत सी डी एम प्रोजेक्ट हो या नहीं, तो वह गैर अतिरिक्त माना जाएगा। यह मुख्यत: विशेषकर उन केसों में होता है जहाँ प्रोजेक्ट के कार्य की तिथि प्रमाणीकरण की तिथि से पहले की होती है। इसलिए यह चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रोजेक्ट के कार्यो के समय क्रम क्या हैं व फिर उनको औपचारिक समझौता करते समय उन तिथियों के साथ मिलाया जाए।

| | |
|---|---|
| सेक्शन सी. | प्रोजेक्ट कार्यों/क्रेडिट की अवधि |

| | |
|---|---|
| सेक्शन डी | पर्यावरण पर प्रभाव |

प्रोजेक्ट में भाग लेने वालों को वैलिडेटर को प्रोजेक्ट कार्य के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के विश्लेषण से सम्बन्धित दस्तावेज़ जमा कराने होते हैं। यह सी डी एम मोडैलिटीज़ एन्ड प्रोसीजर्स के पैरा **37** सी के अनुसार होने चाहिएँ।

सी डी एम - पी डी डी के साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के विश्लेषण से सम्बन्धित दस्तावेज़ संलग्न किए जाते हैं ताकि आपके द्वारा कही गई बात को सत्यापित किया जा सके।

| | |
|---|---|
| सेक्शन ई. | साझेदारों की टिप्पणियाँ |

सभी स्थानीय साझेदारों को जिन्हें सुझाए गए सी डी एम एम प्रोजेक्ट कार्य के लिए उचित माना जाता है उन्हें प्रोजेक्ट विकास कर्त्ता के द्वारा सुझाए गए सी डी एम प्रोजेक्ट के कार्य पर टिप्पणी देने के लिए आमन्त्रित किया जाना चाहिए। चर्चा की यह मीटिंग पी डी डी के यू एन एफ सी सी सी की वेबसाइट पर प्रकाशित होने के पहले होनी चाहिए। पी डी डी में प्रोजेक्ट में भाग लेने वालों को यह प्रदर्शित करना होता है कि कैसे मिली हुई टिप्पणियों को शामिल किया गया व इसका एक वृत्तान्त भी देना होता है।

प्रोजेक्ट के विकासकर्त्ता को यह भी दिखाना होता है कि साझेदारों की टिप्पणियों पर किस प्रकार ध्यान दिया गया। यदि आप एक साझेदार हैं व आपसे चर्चा नहीं की गई है तो प्रोजेक्ट ने प्रमाणीकरण की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया है। यदि आपकी टिप्पणी का सार ठीक से नहीं दिया गया है या फिर यह नहीं बताया गया है कि किस प्रकार आपकी टिप्पणी को शामिल किया गया है तो भी प्रोजेक्ट विकासकर्त्ता ने प्रमाणीकरण की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया है।

## 7. सी डी एम के विषय में अन्य जानकारी

- http://www.cdm-watch.org: आप सी डी एम वॉच के काम को हमारी इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। हम सम्बन्धित स्टडी, रिपोर्ट, टिप्पणियाँ, सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड व पॉलिसी बनाने वालों को भेजे गए पत्र आदि, वर्कशॉप वगैरह के प्रिजेन्टेशन व प्रेस रिलीज़ आदि इस वेबसाइट पर अपलोड करते रहते हैं।
- http://cdm.unfccc.int/index.html: सी डी एम के लिए यह यू एन एफ सी सी सी का आधिकारिक वेबपेज है। इस वेबसाइट पर सी डी एम के प्रोजेक्ट के कार्यों के विषय में जानकारी उन पर प्राप्त टिप्पणियों के साथ उपलब्ध होती है। आप यू एन एफ सी सी सी की पत्रिका के लिए भी स्वयं को पंजीकृत करा सकते हैं जो आपको जो आपको समय समय पर जनता से लिए जाने वाले इनपुट व सुझाए गए नए तरीकों के विषय में सूचनाएँ भेजती रहेगी। हालांकि अभी टिप्पणी अवधि में नए प्रोजेक्टों व उन प्रोजेक्टों के लिए जो मान्यता प्राप्त करने के लिए आए हैं कोई सूचना भेजने का तरीका नहीं है।
- http://cdmrulebook.org/: सी डी एम रूल बुक सी डी एम के नियमों की ऑनलाइन डेटाबेस होती है। यह बेकर व मेकन्ज़ी के द्वारा विकसित की गई है व जनता को स्वतन्त्र रूप में उपलब्ध है।
- http://www.iges.or.jp/en/cdm/report_kyoto.html: " सी डी एम इन चार्टस्" ग्लोबल एन्वायरॉन्मेन्टल स्ट्रैटिजीज़ के द्वारा उपलब्ध कराई गई एक पत्रिका है जिसकी एशिया पैसिफिक क्षेत्र में विकास की साफ प्रणाली (क्लीन डेवेल्पमेन्ट मैकेनिज़्म सी डी एम) का एक सरल, सीधा व समझने में आसान विवरण उपलब्ध है। इस पत्रिका का नए निर्णयों के अनुसार नियमित तौर पर नवीनीकरण होता रहता है व यह इन्डोनेशियन, पर्शियन, पोरच्यूगीज़, मंगोलियन, स्पैनिश, रशियन व जापानी भाषाओं में उपलब्ध है।
- http://cdmpipeline.org/: यू एन ई पी रीसो सी डी एम/जे आई पाइपलाइन अनैलिसिस एन्ड डेटाबेस सी डी एम /जे आई के वे सभी प्रोजेक्ट जो वैलिडेशन/निर्धारण के लिए आते हैं वे होते हैं। इसमें बेसलाइन व जॉच के तरीकों के विषय में जानकारी व वैलिडेटर/वेरिफायर्स और कई विश्लेषणों की सूची दी हुई होती है।
- http://www.carbontradewatch.org/: छकार्बन ट्रेड वॉच कार्बन के बाज़ार के विषय में सम्पूर्ण व टिप्पणी युक्त अनुसंधान प्राप्त करवाता है व इस विषय पर इसके कई प्रकाशन निकलते हैं।
- http://www.internationalrivers.org/cdm_comments/date: द इन्टरनैशनल रिवर्स की वेबसाइट का केन्द्र सी डी एम के हायड्रो प्रोजेक्ट होते हैं। सी डी एम प्रोजेक्टों पर दी गई विस्तृत टिप्पणियाँ भी इसमें शामिल होती हैं।
- http://www.sinkswatch.org: सिंकस् वॉच कोयोटो प्रोटोकॉल के अन्तर्गत उन कार्बन सिंक प्रोजेक्टों को देखता व ध्यान पूर्वक निरीक्षण करता है जो जिनका मुख्य केन्द्र वृक्षारोपण वाले सिंक प्रोजेक्टों पर उन क्षेत्रों में होता है जहाँ भूमि की अवधि व भूमि प्रयोग के अधिकार सम्बन्धी झगड़े होते हैं। यह प्रोग्राम र्व्लड रेन फॉरेस्ट मूवमेन्ट द्वारा फर्न की मेज़वानी में बनाया गया है। सिंकस् वॉच के कोओरडिनेटर जुट्टा किल हैं जिन्हें jutta@fern.org पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- http://www.thecornerhouse.org.uk/: यह पर्यावरण व सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले डेमोक्रेटिक व सामाजिक आंदोलनों के साथ होता है। सी डी एम व कार्बन मार्केट के विरूद्ध कार्नर हाउस ने खुल कर टिप्पणियाँ की हैं।
- http://www.cdmgoldstandard.org/: यह सी डी एम गोल्ड स्टैन्डर्ड की वेबसाइट है।
- http://www.redd-monitor.org/: आर ई डी डी मॉनिटर आर ई डी डी व वनारोपण से बचने से सम्बन्धित समस्याओं का टिप्पणी युक्त विश्लेषण करता है जिसमें सी डी एम के सिंक प्रोजेक्ट भी आते हैं।
- http://www.helio-international.org: हीलियो इन्स्टीट्यूट ने सी डी एम सूचकों का विकास किया है जो सी डी एम प्रोजेक्ट का उनके मेज़बान देश के दीर्घकालीन व बराबर से बँटे हुए विकास में सहयोग का विश्लेषण करते हैं। ये सूचक दक्षिण दक्षिण उत्तर व अर्न्तराष्ट्रीय गोल्ड स्टैन्डर्ड के काम का आधार भी थे।

[69] क्लीन डेवेलपमेन्ट मैकेनिज़्म वैलिडेशन एन्ड वेरिफिकेशन मैन्युअल; पेज **26**

[70] छक्लीन डेवेलपमेन्ट मैकेनिज़्म वैलिडेशन एन्ड वेरिफिकेशन मैन्युअल; पेज **25**, और देखें गाइडलान्स् फॉर कम्प्लीटिंग प्रोजेक्ट डिज़ाइन डॉक्युमेन्ट (सी डी एम-पी डी डी)एन्ड द प्रोपोज़्ड न्यू बेसलाइन एन्ड मॉनिटरिंग मेथोडौलोजीज़ (सी डी एम-एन एम), पेज **20**

- पत्रिकाओं की सेवाएँ

• जी टी ज़ेड के मौसम के बचाव प्रोग्राम वी एम ज़ेड के लिए एक नियमित पत्रिका निकालता है जो सी डी एम के एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड की मीटिंगों मे लिए गए निर्णयों का एक सम्पूर्ण परिदृष्य प्रदान करता है। आप climate@gtz.de पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

• सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग से पहले सी डी एम वॉच नियमित पत्रिकाएँ निकालता है जिनमें एजेन्डा के गम्भीर मुद्दों को सबके सामने रखा जाता है व इसके सम्बन्ध में सुझाव भी दिए जाते हैं। आप info@cdm-watch.org के माध्यम से इसके ग्राहक बन सकते हैं।

## 8. सी डी एम - मुख्य शब्दावली व परिवर्णी शब्द

| | |
|---|---|
| **अडैप्टेशन फन्ड:** | असाइन्ड अमाउन्ट यूनिटस् (ए ए यू) कोयोटो प्रोटोकॉल की पार्टियों के द्वारा जारी किए गए वे यूनिट होते हैं जो उनके राष्ट्रीय पंजीकर्ण में तय की गई राशि के बराबर जारी किए जाते हैं। ये कोयोटो प्रोटोकॉल के द्वारा तय किए गए एनेक्स्चर 1 के देशों के मानदंड के अनुसार स्रावों में कमी के लक्ष्य को निर्धारित किए जाने वाले तीन तरीकों में से एक होते हैं। कमी सन्तुलित करने के अन्य दो तरीकों को सी डी एम प्रोजेक्ट के जे आई प्रोजेक्ट के एमिशन रिडक्शन यूनिट (ई आर यू) व सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन (सी एम आर) कहा जाता है। |
| **अडिश्नैलिटी (अतिरिक्तता)** | प्रत्येक सी डी एम प्रोजेक्ट से सी ई आर का 2 प्रतिशत को एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड द्वारा चलाई जाने वाली एक विशेष रजिस्ट्री में जमा कर्राना होता है। इनकी बिकी से प्राप्त होने वाले धन को विकासशील देशों के मौसम में बदलाव के अडैप्टेशन प्रोजेक्टों में खर्च किया जाता है। सबसे कम विकसित देशों के प्रोजेक्ट को इनमें छूट दी जाती है। |
| **एनेक्सचर 1 देश:** | जिन प्रोजेक्टों का निर्माण कार्बन केडिट बेच कर अतिरिक्त आय होने के कारण होता है उन्हें अतिरिक्त माना जाता है। यदि प्रोजेक्ट इसके बिना ही बन जाता तो उसके भाग सम्पूर्ण स्रावों में कोई कमी नहीं प्रदर्शित करते। इसका अर्थ है कि बगैर अतिरिक्त प्रोजेक्ट वाले देश नकली कार्बन केडिट अर्जित करेगें जिन्हें एनेक्सचर 1 के देश वास्तविक स्रावों को घरेलू तौर पर कम करने से बच सकते हैं व आगे चल कर यह कोयोटो प्रोटोकॉल में तय किए गए अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय स्रावों में बढोत्तरी करेगा। |
| **एनेक्सचर 1 देश:** | ये वे औद्यौगिकृत देश हैं जिन्होंने 1992 के युनाइटेड नेशनस् फेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेन्ज (यू एन एफ सी सी सी) व कोयोटो प्रोटोकॉल के अन्तर्गत ग्रीन हाउस गैस स्रावों को कम करने के विशिष्ट प्रण लिए हैं। इसके अपवाद केवल तुर्की व बेलारूस हैं जो एनेक्सचर 1 के देशों में तो हैं परन्तु कोयोटो प्रोटोकॉल के तहत स्राव कम करने के प्रण उन्होंने नहीं लिए हैं। |
| **बेसलाइन/बिज़नेस एज़ यूस्युअल (बी ए यू):** | बेसलाइन मुख्य रूप से इस बात का एक अन्दाज़ लेना है कि "यदि कुछ न हो तो क्या"। बेसलाइन स्राव की गणना इसलिए की जाती है ताकि इस बात का अन्दाज़ा लगाया जा सके कि सी डी एम प्रोजेक्ट के बगैर कितना स्राव निकासित होगा। बेसलाइन यह विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या प्रोजेक्ट अतिरिक्तता का मानदंड प्राप्त करता है व कितने सी ई आर जारी किए जा सकते हैं। |
| **सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन (सी ई आर)** | कोयोटो प्रोटोकॉल के अन्तर्गत कई प्रकार के केडिट दिए जाते हैं व सी ई आर विशेष तौर पर उन केडिट के लिए दिए जाते हैं जो सी डी एम प्रोजेक्टों के द्वारा अर्जित किए जाते हैं। 1 सी ई आर 1 टन कार्बन डाय ऑक्साइड को कम करने के बराबर होता है। सिंक सी डी एम प्रोजेक्ट अस्थाई केडिट अर्जित करते हैं जिन्हें कुछ समय के पश्चात स्थाई केडिट में बदलना ज़रूरी होता है। |
| **क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़म:** | क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़म (सी डी एम)कोयोटो प्रोटोकॉल के तीन लचीले तरीकों में से एक है। यह एनेक्सचर 1 की पार्टियों (विकसित) को बगैर एनेक्सचर 1 (विकासशील) देशों में स्राव कम करने वाले प्रोजेक्टों को विकसित करने में मदद करता है व कय विकय करने वाले केडिटों को उस प्रोजेक्ट द्वारा कम किए गए स्रावों के आधार पर अर्जित करना है। |
| **केडिट अवधि** | केडिट अवधि वह समय होता है जिसमें कोई प्रोजेक्ट कार्बन केडिट अर्जित करता है। मारकेश अकॉर्ड के अन्दर प्रोजेक्ट या तो 7 वर्ष की अवधि चुन सकते हैं जिसमें दो बार नवीनीकरण किया जा सकता है व अधिकतम 21 वर्ष की सीमा होती है या फिर एक बार में 10 वर्ष की अवधि का चुनाव कर सकते हैं। यदि पहला वाला चुनते हैं तो प्रत्येक 7 वर्ष में बेसलाइन का नवीनीकरण कराना होगा। सिंक प्रोजेक्ट के लिए अवधि लम्बी हो सकती है (60 वर्ष)। केडिट अवधि प्रोजेक्ट की अवधि से अलग होती है: उदाहरण के लिए एक बाँध के प्रोजेक्ट की अवधि 50 वर्ष हो सकती हैं परन्तु वह एक सी डी एम प्रोजेक्ट बन कर केवल 10 वर्षो तक केडिट अर्जित कर सकता है। |

**कॉन्फ्रेन्स ऑफ पार्टीज़ (सी ओ पी):**
सी ओ पी उन सभी देशों की सालान होने वाली मीटिंग होती है जिन्होंने यू एन एफ सी सी सी को मंजूरी दी है। प्रत्येक मीटिंग में भाग लेने वाले इस बात पर चर्चा करते हैं कि यू एन एफ सी सी सी में सुधार व बदलाव कैसे लाए जा सकते हैं व कमी लाने के लिए कौन कौन सी कमेटी बननी चाहिएं। एक अन्य शब्द जिसका प्रयोग किया जाता है वह है एम ओ पी या सी एम पी (मीटिंग ऑफ पार्टीज़ टू द प्रोटोकॉल)। यह सी ओ पी जैसी ही मीटिंग होती है जो उसके साथ साथ ही होती है परन्तु यह उनके लिए होती है जिन्होंने कोयोटो प्रोटोकॉल को मंजूर किया था। वर्तमान में सी एम पी व एम ओ पी एस बात पर चर्चा करते हैं कि **2012** में कोयोटो प्रोटोकॉल की समाप्ति के बाद क्या होगा। यह जानना ज़रूरी है कि अमेरिका एम ओ पी का हिस्सा नहीं है।

**डेज़िग्नेटिड नैशनल अथौरिटी (डी एन ए):**
डी एन ए देश का एक सरकारी संस्थान होता है व देश में सी डी एम से सम्बन्धित किसी भी मुद्दे का मुख्य बिन्दु। अक्सर डी एन ए देश के पर्यावरण मंत्रालय से जुड़ा होता है। सी डी एम के मेज़बान देश के डी एन ए के पास किसी भी सी डी एम प्रोजेक्ट को मंजूर करने की ज़िम्मेदारी होती है व उसकी मंजूरी के बाद ही वह प्रस्ताव यू एन एफ सी सी सी के पास जमा करवाया जाता है। वह यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रोजेक्ट देश के दीर्घकालीन विकास के मानदंडों को मानता है। इसका अर्थ होता है कि डी एन ए ऐसे किसी भी सी डी एम प्रोजेक्ट को नकार सकता है जो उसे लगता है कि उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता।

**डज़िग्नेटिड ऑपेरशनल एन्टिटी (डी ओ ई):**
डी ओ ई वह स्वतन्त्र लेखा परीक्षक (ऑडिटर)होता है जो (1) यह सत्यापित करता है कि कोई भी प्रस्ताव सी डी एम के योग्यता के मानदंडों को पूरा करता है व (2) ग्रीन हाउस गैसों के रिसाव में कमी की जॉच करता है व यह सुनिश्चित करता है कि कमी वैसी ही हो रही है जैसी कि प्रोडक्ट डिज़ाइन डाक्यूमेन्ट में थी।

**एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड (ई बी)**
सी डी एम के मामलों पर निर्णय लेने वाली यह सबसे ऊँची पदवी होती है। सी डी एम का प्रत्येक प्रोजेक्ट प्रोपोज़ल ई बी के पास अन्तिम निर्णय के लिए जाता है जहॉ यह तय होता है कि वह मंजूर होगा या नामंजूर।

**इन्टरनैशनल एमिशन ट्रेडिंग (आई ई टी)**
यह कोयोटो प्रोटोकॉल के तहत कमी का जो प्रण जिन पार्टियों के बीच में हुआ है उनके बीच में स्रावों के भत्ते का कय विकय होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय व स्थानीय एमिशन ट्रेडिंग स्कीमें भी होती हैं जो कि भविष्य में जोड़ी जा सकती हैं।

**जॉइन्ट इम्प्लीमेन्टेशन (जे आई)**
जॉइन्ट इम्प्लमेन्टेशन कोयोटो प्रोटोकॉल के उन तीन लचीले तरीकों में से एक है व सी डी एम की ही तरह प्रोजेक्ट पर आधारित है - अर्थात विकसित देशों को किसी दूसरे देश के स्राव कम करने वाले प्रोजेक्टों में निवेश करने पर कमी के केडिट मिलते हैं। जे आाई प्रोजेक्टों के केस में हालांकि दोनो देशों को कोयोटो प्रोटोकॉल के तहत स्राव कम करने का प्रण लेना होता है। यह सी डी एम से भिन्न होता है क्योंकि वहॉ प्रोजेक्ट बिना स्राव में कमी के प्रण लिए भी किए जाते हैं। जे आई के अधिकतर प्रोजेक्ट पूर्वी यूरोपीय देशों व पहले के सोवियत यूनियन में होते हैं।

**लीकेज**
लीकेज वह बढ़ा हुआ ग्रीन हाउस गैसों का स्राव है जो प्रोजेक्ट की सीमा के बाहर होता है। उदाहरण के लिए ऊर्जा बचाने वाले प्रोजेक्ट से बिजली का दाम कम हो जाता है पर बिजली की खपत बढ़ जाती हे। इस प्रकार की लीकेज को सम्पूर्ण ग्रीन हाउस गैस की कमी की गिनती से कम किया जाना चाहिए।

**मारकेश अकॉर्ड**
मारकेश अकॉर्ड ने सी डी एम प्रोजेक्टों के लिए नियम बनाए। अकॉर्ड का नाम उस जगह के नाम पर रखा गया जहॉ वह हुआ था - पार्टियों की मारकेश, मेरक्को, **2001** में मौसम कन्वेशन पर **7**वीं कॉन्फेन्स

**मेथोडोलोजी (तरीके)**
मेथोडोलोजी उन आवश्यक तरीकों को कहते हैं जो यह बताते हैं कि सी डी एम प्रोजेक्टों में ग्रीन हाउस गैस को कैसे कम किया जाना चाहिए व कैसे नापा जाना चाहिए। सी डी एम प्रोजेक्ट को यह करने के लिए एक तरीके को अपनाना चाहिए। प्रोजेक्ट के प्रकार व आकार के हिसाब से इन्हें अपनाया जाता है या फिर अलग अलग प्रोजेक्ट के प्रकारों व आकारों के लिए कई अलग अलग तरीके बनाए जाते हैं। फरवरी **2010** तक **96** स्वीकृत व प्रकाशित बड़े स्तर के बेसलाइन तरीके हैं व **55** लघु स्तर के बेसलाइन तरीके हैं।

**मॉनिटरिंग (जॉच)**

मॉनिटरिंग वह प्रणाली है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्रीन हाउस गैसों में कमी वैसे ही हो रही है जैसे कि प्रोजेक्ट के डिज़ाइन दस्तावेजों में बताई गई थी। यह प्रोजेक्ट कर्त्ता के द्वारा की जाती है न कि वैलिडेटर के द्वारा। यह जॉच के उपकरणों द्वारा ऊर्जा उत्पादन व ईंधन की खपत का पता लगाकर किया जाता है। प्रोजेक्ट के डिज़ाइन दस्तावेज़ में जॉच की विस्तृत योजना शामिल होनी चाहिए।

**प्रोजेक्ट बाउन्ड्री (सीमा)**

प्रत्येक सी डी एम प्रोजेक्ट को उसकी एक सीमा तय करनी होती है। इसमें ग्रीन हाउस गैसों की वे सब कमियॉं व बढ़ोत्तरियॉं आ जाती हैं जो प्रोजेक्ट के कारण होती हैं व तब ही पूरी कमी की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए एक बायोमास प्लांट जो कोयले से अर्जित बिजली के स्थान पर कृषि अवशेषों का प्रयोग करके अपने उत्पादन के लिए स्राव में कमी के क्रेडिट अर्जित कर सकता है। परन्तु यहॉं पर उसे उन ग्रीन हाउस गैस स्रावों का ब्यौरा भी देना होगा जो बायोमास को प्लांट तक लेकर जाने में प्रयुक्त होंगे। कृप्या 'लीकेज' में भी इस विषय को देखें।

**ऑफ एक्टिविटीज़ (पी ओ ए)**

प्रारम्भ में पॉलिसी या मानकों को सी डी एम प्रोजेक्ट कार्यो में नहीं माना जाता था। पी ओ ए के नए डिज़ाइन में किसी पॉलिसी को लागू करना, मानक या बताया गया लक्ष्य जो स्रावों में कमी लाता है या जो अतिरिक्त हैं उन्हें हटाता है,उसे अब एक अलग सी डी एम प्रोजेक्ट के कार्य की तरह पंजीकृत कराया जा सकता है। पी ओ ए सी डी एम प्रोजेक्ट के कार्यो से मिलकर बनता है। यह अलग अलग व मिलजुल कर बने हुए तरीके हो सकते हैं। पंजीकरण के समय पर कई सारे सी पी ए पी ओ ए में शामिल हो सकते हैं या फिर अतिरिक्त सी पी ए को पी ओ ए की अवधि में कभी भी जोड़ा जा सकता है। पी ओ ए में अन्य देशों में चल रहे सी पी ए भी शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में दो पी ओ ए पंजीकृत हैं।

**ोजेक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेन्ट (पी डी डी)**

सी डी एम प्रणाली में पी डी डी एक मुख्य दस्तावेज़ होता है क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट के विषय में सभी सम्बन्धित जानकारी मौजूद होती है। जैसे ही यह दस्तावेज़ यू एन एफ सी सी सी के वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है वैसे ही जनता के सुझावों की अवधि शुरू हो जाती है। डेज़िग्नेटिड नैशनल अथौरिटी, डेज़िग्नेटिड ऑप्रेशनल एन्टिटी व एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड के सभी विश्लेषण इसी दस्तावेज़ पर आधारित होते हैं।

**रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण)**

सी डी एम के प्रोपोज़ल को एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड द्वारा स्वीकृत करने की यह औपचारिक प्रणाली होती है। इसके लिए थोड़ा पंजीकरण शुल्क (रजिस्ट्रेशन फीस) भी देना पड़ता है। पंजीकरण हो जाने के बाद ग्रीन हाउस गैसों में कमी की जॉच व सत्यापन किया जाता है और सी ई आर जारी किए जाते हैं।

**सिंक**

सामान्यत: सिंक का अर्थ होता है वह चीज़ जो कार्बन डाय ऑक्साइड को सोखे जैसे वन व समुद्र। वर्तमान सी डी एम के संदर्भ में सिंक का तात्पर्य वनारोपण व पुनरोपण प्रोजेक्टों से है जो ही केवल ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कार्बन सिंक को शामिल करते हैं। हालांकि भविष्य में इसको बढ़ा कर अन्य प्रकारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा जैसे कि कार्बन कैप्चर एन्ड स्टोरेज (सी सी एस) व वन संरक्षण।

**स्मॉल स्केल सी डी एम (एस एस सी) या लघु स्तर के सी डी एम**

एस एस सी सी डी एम वह प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें ग्रीन हाउस गैसों में कमी कुछ कम होती है। यही कारण है कि ये प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से संभव नहीं होते क्योंकि अनुमानित आय कम होती है व चलाने की लागत ज़्यादा। इस तरह के पक्षपात से बचने के लिए एस एस सी के लिए सरल प्रणाली है। यह आशा की जाती है कि इन सरल प्रणालियों से अधिक निवेश ग्रामीण व अविकसित देशों व क्षेत्रों में आकृष्ट किया जाए जहॉं दीर्घ स्तर का सी डी एम संभव नहीं है।

**स्टेकहोल्डर्स (साझेदार)**

मारकेश अकॉर्ड के अनुसार साझेदारों की परिभाषा है "वह जनता, व्यक्ति, समूह व समाज
जो विकास की साफ प्रणाली के प्रोजेक्ट के कार्य से प्रभावित हुई हो या जिनके प्रभावित होने की संभावना है वे आते हैं"।

**टारगेट (लक्ष्य)**

कोयोटो प्रोटोकॉल के अन्तर्गत औद्योगिकृत देशों ने अपने स्रावों को कम करने की रजामन्दी दी थी। जितनी कमी करने को वे राज़ी हुए वह ही उनका लक्ष्य होता है। लक्ष्य को **1990** के स्रावों में कमी की तुलना में ग्रीन हाउस गैस की प्रतिशत कमी को दिखाया जाता है जिसे **2008-2012** की अवधि में प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए जापान का लक्ष्य **6** प्रतिशत का है जिसका अर्थ है कि **2008-2012** की अवधि में उसके स्रावों में **1990** से **6** प्रतिशत की कमी आनी चाहिए। वर्तमान में यू एन एफ सी सी सी के प्रतिनिधि प्रतिबद्धता के तीसरे दौर की अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान दे रहे हैं जो **2012** से **2020** तक है जब कोयोटो प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा।

| | |
|---|---|
| ट्रान्ज़ैक्शन कॉस्ट (सौदे की लागत) | यह वह लागत होती है जो सी डी एम के प्रोजेक्ट के विकास करने में, फिर स्रावों में कमी जो वह केडिट की अवधि में प्राप्त करता है उसकी जॉच व सत्यापन और अधिग्रहण करने में आती है। इसमें वे खर्चे शामिल होते हैं जैसे पी डी डी को तैयार करना जो कि किसी विशेषज्ञ परामर्शदाता के द्वारा किया जाता है व बेसलाइन स्टडी। |
| यूनिलैटरल सी डी एम (एकतरफा सी डी एम) | सामान्यत: सी डी एम प्रोजेक्ट में भाग लेने वालों में कोयोटो प्रोटोकॉल के अन्तर्गत एनेक्सचर 1 के देश को होना चाहिए ताकि उन्हें अतिरिक्त फंडिंग व तकनीक प्राप्त हो सकें। हालांकि एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड के एक निर्णय के अनुसार किसी प्रोजेक्ट के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि पंजीकरण के समय उसमें एनेक्सचर 1 के देश हों। इसका यह अर्थ हुआ कि वगैर एनेक्सचर 1 के देश या विकासशील देश भी अपने बल बूते पर सी डी एम प्रोजेक्ट को चला सकते हैं। |
| यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेन्ज (यू एन एफ सी सी सी) | यू एन एफ सी सी सी एक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि है जो 1992 में रियो डि जेनेरियों में पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सघनता का सन्तुलन वनाए रखने के लिए मानी गई थी। परन्तु यू एन एफ सी सी सी स्वयं यह नहीं बताता कि किसे व कब तक ग्रीन हाउस गैसों को कम करना चाहिए। इसी लिए 1997 में कोयोटो प्रोटोकॉल पर स्वीकृति दी गई ताकि यह कमी कानूनी तौर पर लागू हो सके। यू एन एफ सी सी सी का सेक्रेटेरियट बॉन,जर्मनी,में है इसीलिए यू एन एफ सी सी सी से सम्बन्धित अधिकतर मीटिंगें बॉन में होती हैं। |
| वैलिडेशन (प्रमाणीकरण) | किसी प्रोजेक्ट को एक सी डी एम प्रोजेक्ट की तरह मान्य होने के लिए उसे किसी पंजीकृत संस्था के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जिन्हें वैलिडेटर कहा जाता है। ये "डेजिग्नेटिड ऑपरेशनल एन्टिटी (डी ओ ई)" कहलाते हैं। ये वैलिडेटर यह सुनिश्चित करते हैं कि सी डी एम प्रोजेक्ट योग्यता के सभी मानकों को पूरा करे जैसे कि अतिरिक्तता। |
| वेरिफिकेशन (सत्यापन) | वेरिफिकेशन वह प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि एक सी डी एम प्रोजेक्ट उसके पी डी डी के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के स्राव में कमी ला रहा है। वैलिडेशन की ही तरह यह प्रकिया भी डेज़िग्नेटिड ऑपरेशनल एन्टिटी द्वारा ही की जाती है। |